५०वीं वार्षिक रिपोर्ट

२०२२ - २०२३

विषय सूची	पृष्ठ क्रमांक
वार्षिक आम सभा सूचना	03
निदेशकों की रिपोर्ट	05
निगम संचालन	18
सचिवालयी ऑडिट रिपोर्ट	22
स्वतंत्र ऑडिटरों की रिपोर्ट	26
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	41
बैलन्स शीट (देयादेय फलक)	42
लाभ हानि खाते का विवरण	43
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	45
दस वर्षीय संग्रह	71

निदेशक मंडल

A)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**		
	श्रीमती लक्ष्मी चंद्रा	:	27.10.2020 से 24.04.2022 तक
	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	:	09.05.2022 से आगे
B)	**निदेशक**		
	श्री रवींद्र बड़ाया	:	28.01.2020 से to 27.01.2023 तक
	श्रीमती कौशल्या परमार	:	21.02.2020 से to 20.02.2023 तक
	श्री आदित्य कुमार घोष	:	18.06.2021 से आगे
	श्री नरेश कुमार	:	20.03.2023 से आगे
C)	**प्रबंधकारी वर्ग**		
	श्री वरुण कुमार शुक्ला		महाप्रबंधक (एच ओ)
	श्री संजय कुमार ओझा	:	सीएफओ एंड सीएस
	श्री डी. श्रीनिवास राव	:	उप महाप्रबंधक
D)	**ऑडिटर्स**		
	मेसर्स जैन चौधरी एण्ड कंपनी	:	वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक ऑडिटर्स
E)	**बैंकर्स**	:	भारतीय स्टेट बैंक, भायखला शाखा

पंजीकृत कार्यालय:

भायखला आइरन वर्क्स,
सर जे. जे. रोड,
भायखला, मुंबई - 400008
महाराष्ट्र

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड के सदस्यों की 50वीं वार्षिक आम सभा नवंबर 18, 2023 को अपराह्न 2 बजे, पंजीकृत कार्यालय सर जे. जे. रोड, भायखला पर निम्न व्यवसायों को 'सामान्य व्यवसायों' के रूप में विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च वित्तीय विवरणों को (ऑडिटेड) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित 2023वैधानिक ऑडिटरों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम 2013 ,की धारा)(6)143 बी के तहत (सीएजी की टिप्पणियों के साथ, और उन पर अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करनेअनुमोदित करने और स्वीकारने और ,विचार करने , यदि उचित समझा जाए तो निम्न प्रस्ताव को एक'सामान्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकारने और पारित करने के लिए। '
   "प्रस्तावित किया जाता है कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिटरों और निदेशकों की रिपोर्ट्स् और उन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के साथ कंपनी का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

2. यह ध्यान देने के लिए कि सीएजी से प्राप्त पत्र क्रमांक CA.V/COY/CENTRAL GOVT. RICHRD(1)/283 दिनांक 13.09.23 के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जैन चौधरी एण्ड कंपनी को वैधानिक ऑडिटर नियुक्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संवैधानिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मण्डल को अधिकृत करने के लिए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

एसडी/-
संजय कुमार ओझा
कंपनी सचिव

दिनांक: 18.11.2023
स्थान : मुंबई

<u>नोट्स:</u>

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार को एक प्रॉक्सी (प्रॉक्सीयाँ) नियुक्त करने का अधिकार है तथा आवश्यक नहीं है कि वह कंपनी का सदस्य हो।

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

मुंबई

प्रतिनिधि नियुक्ति फॉर्म

1. श्री ________________________, पुत्र श्री______________________, एतद् द्वारा, _____________________ के श्री _______________, ____________ को (अथवा उनके विफल होने पर) ______________________________ के श्री ____________________ को मेरे प्रतिनिधि के रूप में 18 नवंबर 2023 को अपराह्न 2 बजे होने वाली कंपनी की 50 वीं वार्षिक सभा में तथा किसी भी स्थगन में मेरी ओर से उपस्थित होने तथा मेरी ओर से वोट करने हेतु नियुक्त करता हूँ।

हस्ताक्षर: ___________________________

नाम: ___________________________

दिनांक, ________, ________ 2023

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारक,

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

महानुभावों,

आपके निदेशक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षित खाता विवरण के साथ कंपनी की 50 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।

1. वित्तीय प्रदर्शन:

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2022-23 (करोड़ रुपये में)	2021-22 (करोड़ रुपये में)
सकल बिक्री (शुद्ध एक्साइज ड्यूटी)	29.11	32.52
मूल्यह्रास	0.31	0.34
ब्याज	शून्य	शून्य
पीबीटी	16.99	25.44
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	12.72	19.35
आय		
संचालन से आय	14.80	19.62
व्यय		
कच्चा माल	0	0
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	3.14	3.71
तैयार माल/स्टॉक की माल-सूची में परिवर्तन	-	0.15
कर्मचारी लाभों पर व्यय	0.94	1.02
अन्य व्यय	3.83	6.34
कुल व्यय	7.91	10.16
संचालन लाभ	6.89	9.46
जोड़ें: अन्य आय	14.31	12.90
घटाएं: वित्तीय लागत	0	0
मूल्यह्रास	0.31	0.34
पूर्व अवधि	0.00	0.04
मूल्यह्रास और ब्याज के बाद लाभ	20.89	21.98
पूर्व अवधि एवं अतिरिक्त सामान्य आइटम समायोजन	(3.90)	(3.46)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	16.99	25.44
करों पर व्यय	4.27	6.10
कर के पश्चात लाभ	12.72	19.35

2. संचालन:

कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों/आयोजनों/बैठकों के लिए एमओए तथा एओए के अनुसार अपने परिसर को दैनिक आधार पर किराये पर देकर अपने इंजीनियरिंग और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रही है। कंपनी को एमसीजीएम से दिनांक 20.09.22 का पत्र प्राप्त हुआ जिसके तहत सूचित किया गया था कि जुलाई-22 से जम्बो कोविड सेंटर को बंद कर दिया गया है। हालांकि दोनों, भायखला और मुलुंड के परिसरों को खाली करने का कार्य दिसंबर - 22 तक जारी रहा और दिसंबर - 22 के अंत तक ही कंपनी को दोनों परिसर प्राप्त हो सके। अब कंपनी ने दैनिक किराये के आधार पर कार्यक्रमों, शूटिंग आदि के लिए अपने परिसरों को उपलब्ध कराने का अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया है।

आर एंड सी के कॉर्पोरेट भवन को एचपीसीएल ने 31.12.2022 को खाली कर दिया है। क्योंकि कंपनी की आय का मुख्य स्रोत किराया ही है, इसने कंपनी की आय को प्रभावित किया है।

चेन्नई तथा नागपुर इकाइयों के दिनांक 21.09.2016 के कैबिनेट निर्णय के अनुपालन के कारण नई ऑर्डर बुकिंग रोकने से ऑर्डर स्थिति प्रभावित हो रही है।

31.03.2023 के अनुसार वर्तमान में कंपनी के पास पैरोल पर मात्र 3 कर्मचारी हैं।

3. लाभांश भुगतान:

आपके निदेशकों ने आकस्मिकताओं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लाभ को रोके रखने का निर्णय लिया है। तदनुसार मण्डल चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों तथा 8% भुनाने योग्य गैर संचयी वरीयता शेयरों पर किसी भी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

4. दिनांक 21.09.2016 के कैबिनेट निर्णय का कार्यान्वयन

कंपनी ने दिनांक 02.02.21 के पत्र के माध्यम से डीएचआई को सूचित कर दिया है कि चूंकि राज्य सरकार के सभी विभगोन ने अपना संचालन फिर से शुरू कर दिया है तो, डीएचआई 7 वीं आइएमजी बैठक बुला सकता है। हालांकि, तब कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश को प्रभावितकर दिया और कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

महामारी अधिनियम-1897 के तहत मुंबई कलेक्टर ने दिनांक 29.03.2020 को कोविड-19 मरीजों को क्वॉरन्टीन करने के लिए आर एण्ड सी के भायखला परिसर को अधिग्रहित करने का आदेश पारित किया। आगे चलकर 26.07.2022 को एमसीजीएम ने भयखला परिसर को अधिग्रहण मुक्त किया। अब कंपनी ने फिर से अपने परिसर को कार्यक्रमों, शूटिंग आदि के लिए दैनिक किराये के आधार पर देने का अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है।
वर्तमान में आर एंड सी भवन परिसर को बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनेरा बैंक को लीज़ पर दिया गया है।

एमसीजीएम ने दिनांक 15.05.2020 को जारी पत्र के माध्यम से आर एंड सी की मुलुंड की संपत्ति को भी कोविड-19 के मरीजों को क्वॉरन्टीन करने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम 1897 के तहत अधिग्रहित करने का आदेश

पारित किया। दिसम्बर 2022 तक एमसीजीएम ने मुलुंड परिसर को भी अधिग्रहण मुक्त कर दिया। अब कंपनी ने फिर से अपने परिसर को कार्यक्रमों, शूटिंग आदि के लिए दैनिक किराये के आधार पर देने का अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है।

28.06.2019 को 69-डी टॉँसिडको इन्डस्ट्रीअल एस्टेट, अंबत्तुर, चेन्नई में बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करके कंपनी ने चेन्नई की 3.3 एकड़ जमीन की स्वामित्व विलेख संबंधित औपचारिकताऐं पूर्ण कर ली हैं।

कंपनी ने दिनांक 25.05.2020 के पत्र के माध्यम से उद्योग विभाग, भारत सरकार को भी चेन्नई की 3.3 एकड़ भूमि के स्वामित्व विलेख संबंधित औपचारिकताऐं पूर्ण करने और भूमि और संपत्ति के बारे में सूचित कर दिया है। उपरोक्त भूमि पर कई भवन और निर्माण मौजूद हैं। वर्तमान में चेन्नई इकाई बंद है।

5. ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेश एवं विदेशी मुद्रा का आगमन एवं बहिर्गमन

(A) तकनीक समावेश

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी बड़ा तकनीकी समावेश नहीं किया है।

(B) शोध एवं विकास तथा गुणवत्ता

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2016 में लिए गए निर्णय 2016 के अनुसार वर्तमान में कंपनी का पुनर्गठन चल रहा है तथा शोध एवं विकास और गुणवत्ता की दिशा में कोई भी पहल पुनर्गठन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात ही की जाएगी।

(C) विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्गमन

सम्पूर्ण वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का आगमन और बहिर्गमन नहीं हुआ है।

(D) ऊर्जा:

आपकी कंपनी के किसी भी प्रकार के संचालन में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा खपत एवं लागत को कम करने के लिए आवश्यक सभी प्रयास किए गए हैं तथा यह नियंत्रण में हैं।

6. मानव संसाधन:

सम्पूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे। मार्च, 2023 के अंत तक मानव शक्ति की मात्रा 3 थी।

7. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग कर्मचारी/ शारीरिक दिव्यांग लोग:

अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक दिव्यांग लोगों के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों को नियमित रूप से लागू किया जाता है एवं इनका पालन भी होता है,

8. कर्मचारियों का विवरण:

सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134, जिसे कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1988 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने के लिए आवश्यक पारिश्रमिक नहीं लिया है।

9. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण:

कंपनी प्रदूषण रोकने तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। कंपनी की मुलुंड और नागपुर इकाइयों में वन-रोपण के प्रयास वर्ष भर जारी रहे तथा आवश्यक भूमि भी उपलब्ध रही।

10. सतर्कता सेल:

श्री शिवपाल सिंह, आइएफएस को कंपनी का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) चयनित किया गया है।

11. हिन्दी का उपयोग:

कंपनी की आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन समिति ने आधिकारिक भाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी आधिकारिक भाषा लागू करने के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं।

12. निदेशक मण्डल - चयन एवं निवृत्ति

डीएचआई ने दिनांक 09.05.2022 के पत्र क्रमांक 4(8)/2010-PE IV (Part. II) के माध्यम से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी) के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार श्रीमती जूली श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, (आरओडी - डब्ल्यू आर), बीएचईएल (भेल), मुंबई को सौंप दिया है। श्रीमती लक्ष्मी चंद्रा का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड के रूप में कार्यकाल 24.04.2022 को खत्म हो चुका है।

डीएचआई ने दिनांक 18.06.2021 के पत्र संख्या 7(3)/98-पीई.IV के माध्यम से श्री आदित्य कुमार घोष को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जबकि श्री रमाकांत सिंह पूर्व उप सचिव, डीएचआई, 18.06.2021 से नियुक्त किए गए हैं।

डीएचआई ने दिनांक 20.03.2023 के पत्र संख्या 7(3)/98-पीई.IV के माध्यम से श्रीनरेश कुमार, उप सचिव को कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

मण्डल बैठकों की संख्या एवं दिनांक

मण्डल की बैठक आम तौर पर कंपनी के भायखला, मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित होती हैं, तथा इनकी तिथियाँ पहले से ही तय होती हैं। प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाती है। वर्ष 2022-23 में बैठकें दिनांक 21.05.2022, 8.10.2022, 31.10.2022, 09.02.2023, 27.03.2023 को आयोजित हुईं।

सभी निदेशक मण्डल बैठकों एवं आखिरी वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति निम्नलिखित है:

क्रमांक.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	2021-22 की वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
1	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	5	हाँ
2	श्री आदित्य कुमार घोष	5	हाँ
3	श्री नरेश कुमार	1	लागू नहीं
4	श्रीमती परवीन गुप्ता	1	नहीं
5	श्री रवींद्र बड़ाया (27.01.2023 से निवृत्त)	3	नहीं
6	श्रीमती कौशल्या परमार (20.02.2023 से निवृत्त)	4	नहीं

13. अंकेक्षण समिति:

27.06.2014 को आयोजित निदेशक मण्डल की 215 वीं बैठक में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अंकेक्षण समिति का गठन किया था, और कंपनी के निदेशक मण्डल के बदलने पर समिति का समय - समय पर पुनर्गठन होता रहता है।

1. संदर्भ की शर्तें:

मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट अंकेक्षण समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:

i. बोर्ड को सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो उनके प्रतिस्थापन/निवृत्ति तथा सरकारी कंपनियों पर लागू सीमा तक अंकेक्षकों के अंकेक्षण शुल्क के निर्धारण के बारे में सिफारिश करना।

ii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।

iii. प्रबंधन के साथ मिलकर, बोर्ड को स्वीकृति के लिए देने से पहले निम्न के विशेष संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना:

(a) निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण के अंतर्गत आने वाले मामले, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना अनिवार्य होता है तथा लागू किए जा सकने वाले नियम तथा लेखा मानक।

(b) लेखा नीतियों, पद्धतियों आदि में यदि बदलाव किए गए हैं तो वे बदलाव तथा उनके कारण।

(c) प्रबंधन के निर्णयों के आधार पर अनुमानों सहित प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ।

(d) अंकेक्षण निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजन।

(e) किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटीकरण

(f) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की गुणवत्ता

iv. बोर्ड को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।

v. प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक अंकेक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

vi. आंतरिक अंकेक्षण की संरचना, कवरेज और बारंबारता सहित आंतरिक अंकेक्षण कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

vii. आंतरिक अंकेक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उन पर कार्य करना

viii. अंकेक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करना तथा लागू की गई अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा

ix. आवश्यकता होने पर कंपनी की परिसंपत्तियों या उपक्रमों के मूल्यांकन की समीक्षा और चर्चा करना।

x. जहाँ लागू हो, सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त किए गए धन के उपयोग की निगरानी करना।

xi. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर तथा अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र और अंकेक्षण के पश्चात् अंकेक्षकों की टिप्पणियों सहित चिंता के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सांविधिक/आंतरिक अंकेक्षकों के साथ चर्चा करना

2. अंकेक्षण समिति की संरचना, सदस्यों तथा अध्यक्ष के नाम:
अंकेक्षण समिति में बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रमांक	सदस्य का नाम	अंकेक्षण समिति में सदस्य का पद
1	श्री रवींद्र बदाया, स्वतंत्र निदेशक (27.01.2023 से निवृत्त)	अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष
2	श्रीमती कौशल्या परमार, स्वतंत्र निदेशक (20.02.2023 से निवृत्त)	अंकेक्षण समिति के सदस्य
3	श्री आदित्य कुमार घोष , निदेशक	अंकेक्षण समिति के सदस्य

14. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर उपक्रम पर कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर विकसित एवं लागू की गई नीति पर विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

1. कंपनी की सी एस आर नीति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा तथा सी एस आर नीति की वेब लिंक का संदर्भ शामिल है, का संक्षिप्त विवरण। भारत सरकार के दृष्टिकोण और दर्शन के अनुसार और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर डीपीई के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी दीर्घकाल तक टिकी रहने वाली परियोजनाओं की पहचान करने का प्रयास करती है, जो लम्बे समय तक समाज को लाभान्वित कर सकेंगी। सीएसआर समिति और निदेशक मंडल की स्वीकृति के पश्चात कंपनी द्वारा 22.02.2020 को एक विस्तृत सीएसआर नीति तैयार की गई । नीति में, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
   (I) परिचय
   (II) विज़न, मिशन, उद्देश्य, परिभाषा और दायरा
   (III) सीएसआर और स्थिरता नीति विवरण
   (IV) संरचना
   (V) बजट और आवंटन
   (VI) कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग

   सीएसआर समिति की संरचना: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति नामक निदेशकों की समिति, जिसे बोर्ड द्वारा 22 फरवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में गठित किया गया और कंपनी के निदेशक मण्डल में बदलाव के कारण इसे समय समय पर पुनर्गठित किया जाता है। वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:
   (I.) श्री आर. बदाया, , (27.01.2023 से निवृत्त) समिति के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक अध्यक्ष
   (II.) श्री आदित्य कुमार घोष , सदस्य
   (III.) श्रीमती जूली श्रीवास्तव , सदस्य
   (IV.) श्रीमती कौशल्या परमार , सदस्य(20.02.2023 से निवृत्त)

2. कंपनी ने इस वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर रुपये 45.29 लाख का आवंटन किया। इसमें से Rs 0.20 लाख पीएम केयर फंड को 31.02.2023 को स्थानांतरित किए गए तथा बचे रुपये 45.09 लाख को विशेष सीएसआर परियोजना के लिए पृथक रखा गया। (पिछले वर्ष पीएम केयर फंड में रुपये 87.05 जमा किए गए थे।

3. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (INR) का 2% खर्च करने में विफल रहती है तो इस राशि के खर्च न होने के कारण बोर्ड रिपोर्ट में उल्लेखित किए जाएँगे।

4. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व वक्तव्य कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर के उद्देश्यों और नीति के अनुसार है। सीएसआर समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुसार हैं।

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक **A**)

15. अंकेक्षक:

मेसर्स जैन चौधरी एण्ड कंपनी को दिनांक 01.09.2022 के सीएजी के पत्र क्रमांक CA.V/COY/CENTRAL GOVT,RICHRD(1)/758 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्हें 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भी सीएजी के दिनांक 13.09.23 के पत्र क्रमांक CA.V/COY/CENTRAL GOVT,RICHRD(1)/283 के अनुसार कंपनी का सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।

अंकेक्षकों द्वारा की गई अर्हताओं की अंकेक्षण समिति द्वारा व्यापक समीक्षा की गई है तथा समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड द्वारा उन पर विचार किया गया है तथा जहाँ भी आवश्यक हो कार्यवाही की जा रही है।

कंपनी अधिनियम की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ सीएजी द्वारा की गई खातों की समीक्षा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

16. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम,2013 की धार 134 के तहत निदेशकों के दायित्व विवरण के संदर्भ में, एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है:

i. यह कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का उनके उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है।

ii. यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सतत् रुप से लागू किया तथा ऐसे निर्णय लिए और अनुमान लगाए जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे, जिनसे को समाप्त 2023 मार्च 31 हुए वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की स्थिति के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टि प्राप्त होती है।

iii. यह की निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 ,के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव का उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था।

iv. यह कि निर्देशकों ने वार्षिक खाते एक सतत कार्य के आधार पर तैयार किए थे।

v. यह की निर्देशकों ने सभी लागू कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित प्रणाली तैयार की थी और यह भी की ऐसी प्रणाली पर्याप्त थी एवं प्रभावी रूप से संचालित हो रही थी।

17. खंड (1)188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या अभिलेखों का निर्धारित प्रारूप में विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम (1)188 के अनुभाग 2013के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है।

18. यदि हों तो, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, जो कंपनी के उस वितिय वर्ष के अंत जिससे वितिय विवरण संबंधित है और रीपोर्ट की दिनांक के बीच घटित हुए हों.

ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो।

19. कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के आधार पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27.03.2023 को रुपये 45,28,851/- की राशि 5 सीटों वाले दो सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई। यह दोनों कॉम्प्लेक्स क्रमशः जिला चंदौली एवं जिला गाजीपुर (उ. प्र.) में निर्मित होंगे।

20. जोखिम प्रबंधन नीति

बोर्ड ने आवश्यकता अनुसार समयसमय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की है।-

21. शेयर पूंजी में परिवर्तन

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

22. कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट अनु लग्नक बी के रूप में संलग्न है।

23.कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटन

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम,की आवश्यकताओं के 2013 अनुसार यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नीति लागूकी गई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थाई, संविदा, अस्थाई, प्रशिक्षु) इस नीति के तहत आते हैं। कंपनी को वर्ष के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली। 23-2022

24. अभिस्वीकृति:

निदेशकगण केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को उनके द्वारा प्रदत सहयोग के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। निदेशकगण, नियंत्रक और महालेखाप्रबंधक, वाणिज्यिक अंकेक्षण के मुख्य निदेशक और पदेन सदस्यों, सांविधिक और आंतरिक अंकेक्षकों और बैंकर्स के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण मूल्यवान ग्राहकों के उनके निरंतर संरक्षण और समर्थन के लिए भी आभारी हैं। निदेशक गण कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर लगाए गए उनके समर्पित प्रयासों की सराहना भी दस्तावेज में दर्ज करना चाहते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एसडी/-
(जूली श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
DIN - 09623989

दिनांक : 18.11.2023
स्थान : मुंबई

अनुलग्नक - A

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23)

1.कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकतानुसार कंपनी की सीएसआर आधारित एक नीति है। सीएसआर नीति का उद्देश्य ऐसा आर्थिक विकास करना है, जो कि संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके समाज को बड़े पैमाने पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करे और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से व्यापक एवं एकीकृत विकास को बढ़ावा दे।

2.सीएसआर समिति की संरचना:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर की बैठकों में उपस्थिति
1	श्री रवींद्र बड़ाया (27.01.2023 से निवृत्त)	सीएसआर समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक	4	3
2	श्रीआदित्य कुमार घोष	सदस्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4
3	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	सदस्य , सीमडी	4	4
4	श्रीमती कौशल्या परमार (20.02.2023 से निवृत्त)	सदस्य, स्वतंत्र निदेशक	4	3

3. वह वेब लिंक उपलब्ध कराएं जहाँ कंपनी की वेबसाईट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत सीएसआर परियोजनाएं प्रदर्शित कि गई हों http://www.rnc72.com/

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)। लागू नहीं होता

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार में स्थापित करने के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय लिए वर्ष के लिए निर्धारित करने के आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष**	**पूर्व वित्तीय वर्ष से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)**	**चालू वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि (यदि हो) (रुपये में)**
1	शून्य	शून्य	शून्य
2	शून्य	शून्य	शून्य
3	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा135(5) के तहत कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

वित्तीय वर्ष	**लाभ / हानि (₹. में)**
2021-22	25,44,49,704
2020-21	18,41,98,344
2019-20	24,06,79,603
कुल लाभ	67,93,27,651
3 वर्षों का औसत लाभ	22,64,42,550
सीएसआर में व्यय की जाने वाली राशि	45,28,851

7. (a) धारा 135(5) के तहत कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹. 45,28,851/-

(b) पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से मिलने वाली अतिरिक्त राशि: शून्य

(c) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि: शून्य

(d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b- 7c). : ₹. 45,28,851/-

8. (a) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि. (रुपयों में)	अव्ययित राशि (₹. में)				
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित सीएसआर राशि		धारा135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
			फंड का नाम		
	राशि	हस्तांतरण दिनांक		राशि.	हस्तांतरण दिनांक
18,31,937	**26,96,915**	**27.10.2023**	**-**	**-**	**-**

* वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी को सीएसआर के लिए रु. 45,28,851/- व्यय करने की आवश्यकता थी। 27.03.23 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने क्रमशः जिला चंदौली (उ.प्र.) तथा जिला गाजीपुर (उ.प्र.) में 5 सीटों वाले 2 सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण को स्वीकृत किया। अभी तक रु. 26,96,915 की राशि "सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन" को तथा रु. 19613 की राशि "पीएम केयर्स फंड" को हस्तांतरित की जा चुकी है। हालांकि कंपनी के पास अव्ययित सीएसआर राशि के हस्तांतरण के लिए ऐसा कोई सीएसआर खाता नहीं है।

तदनुसार, इसी के लिए प्रावधान बनाया गया है। हालांकि कंपनी के पास कोई अव्ययित सीएसआर खाता नहीं है, इसलिए उक्त राशि को हमारे चालू खाते में ही जमा किया गया है। 04.09.2023 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत कहे गए नाम से बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक चालू खाता खोलने और अव्ययित सीएसआर राशि उसमें हस्तांतरित करने को स्वीकृति दी।

तदनुसार रु. 26,96,915 की अव्ययित राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (6) के तहत सीएसआर बीओआई चालू खाते में हस्तांतरित कर दी गई है।

(b) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(रु. में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रमांक.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं).	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रुपये में)	लागू करने का सीधा मोड (हाँ/ना)	लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से लागू करने का मोड	
				राज्य	जिला.						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज़ ऑर्गेनाइज़ेशन	स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	नहीं	उ.प्र.	-	-	45,09,239	18,12,324	26,96,915	हाँ	-	-
	कुल						45,09,239	18,12,324	26,96,915			

(c) चालू परियोजना के अतिरिक्त परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(रु. में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रमांक	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना).	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रु. में)	लागू करने का सीधा मोड (हाँ/ना)	लागू करने वाली एजेंसी के माध्यम से लागू करने का मोड	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
	पी एम केयर फंड	पी एम केयर	लागू नहीं	-	-	19,613	लागू नहीं	-	-

(d) प्रशासनिक ऊपरीव्यय पर व्यय की गई राशि : शून्य

(e) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यही लागू हो : शून्य

(f) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि : 18,31,936/-

(8b+8c+8d+8e)

(g) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रमांक .	विवरण	राशि (₹. में)
(i)	धारा 135(5) के तहत कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹. 45,28,851
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	**18,31,937**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से मिलने वाली अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो	शून्य
(v)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (a) पूर्व तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

क्रमांक	पूर्व वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिए शेष राशि (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	हस्तांतरण दिनांक	
	कुल						

(b) पूर्व वित्तीय वर्ष/वर्षों से चली आ रही योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रमांक	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष (रुपये में)	रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक व्यय की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना का स्टैटस - पूर्ण/चालू
1.								
2.								
3.								
	कुल							

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)	(निदेशक) DIN:	(सीएसआर समिति अध्यक्ष) DIN:	लागू नहीं. [अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति (जहाँ पर भी लागू हो)
श्री संजय कुमार ओझा	श्रीमती जूली श्रीवास्तव DIN: 09623989	श्री रवींद्र बड़ाया DIN : 01920694	

10. पूंजी संपत्ति के अधिग्रहण या सृजन के मामले में संपत्ति से संबंधित ऐसी संपत्ति का विवरण जिसका अधिग्रहण या सृजन वित्तीय वर्ष में सीएसआर के व्यय से किया गया हो : शून्य

(संपत्ति वार विवरण).

(a) पूंजी संपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण की दिनांक:

(b) पूंजी संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण में व्यय की गई सीएसआर राशि:

(c) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकारी या लाभार्थी का नाम जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति का पंजीकरण किया गया हो, उनका पता आदि

(d) पूंजी संपत्तियों, जिनका सृजन या अधिग्रहण किया गया है का विस्तृत विवरण दें (पूंजी संपत्ति के पूर्ण पता तथा स्थान की पूरी जानकारी सहित):

10. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है तो उसका कारण बताएं:

कहे गए नियमों के अंतर्गत, अनुलग्नक - II के पश्चात निम्न ई-फॉर्म लगाया जाएगया, जिसका नाम है:

अनुलग्नक B

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन का तात्पर्य उन विधियों या उपायों से कंपनी को नियंत्रित करने से हैजि ,नसे कि शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रति निदेशक मंडल की अधिक जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा सके। यह निदेशक मंडल की भूमिका को परिभाषित करने, शेयरधारकों, निवेशकों और हितग्राहियों के लिए निदेशकों की जवाबदेहिता स्थापित करने, उनके द्वारा प्रदर्शन के प्रभावी और नई गुणवत्ता के दिशा निर्देश निर्धारित करने, बोर्ड और कार्यकारी अधिकारियों के बीच संबंधों को विकसित करने के बारे में है। आपकी कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के कामकाज में प्रकट होने वाले कॉर्पोरेट अभिशासन का दर्शन दीर्घकालिक शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाने और अपने सम्पूर्ण शेयरधारकों के हित को बढ़ाकर व्यावसायिक उत्कृष्ट प्राप्त करना है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशा निर्देशों को विकसित किया और अपनाया है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास आवश्यक नियामक तंत्र हो ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन, स्वामित्व और शासन के बारे में जानकारी समय पर और सटीक रूप से प्रकट की जा सके। जैसा की कॉर्पोरेट अभिशासन पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपेक्षित है, कॉर्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

रिचर्ड्सन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड का कॉर्पोरेट अभिशासन पर दर्शनयह कंपनी : अपने सभी परिचालनों में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, अखंडता और समानता को प्राप्त करने का प्रयास करती है। कंपनी का मानना है कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने और हितधारकों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यक है। कंपनी का व्यावसायिक उद्देश्य अपने उत्पादों का निर्माण और विपणन इस तरह से करना है कि ऐसे मूल्यों का निर्माण किया जा सके ,जिन्हें शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार और उधारदाताओं सहित इसके सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक रूप में बनाए रखा जा सके।

वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक के निर्णय के अनुसार कंपनी परिचालन को 21.9.2016कम करने की कार्यवाही कर रही है।

निदेशक मंडल

रिचर्ड्सन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड भारी उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्रीय सरकार की एक कंपनी है। इसकी 100% शेयर धारिता भारत सरकार के पास है। बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल है

1. श्रीमती जूली श्रीवास्तव , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. श्री आदित्य कुमार घोष , निदेशक
3. श्री नरेश कुमार , निदेशक

निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर भायखला, मुंबई स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जाती हैं और इनकी तारीखें पूर्व निर्धारित होती हैं। प्रत्येक मंडल बैठक की लिखित सूचना सभी निर्देशकों को भेजी जाती है।

के दौरान आयोजित बोर्ड की 23-2022बैठकें इन तारीखों पर हुई 21.05.2022, 8.10.2022, 31.10.2022, 09.02.2023, 27.03.2023

निदेशकों की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	5
2	श्री आदित्य कुमार घोष	5
3	श्री नरेश कुमार	1
4	श्रीमती परवीन गुप्ता	1
5	श्री रवींद्र बड़ाया *(27.01.2023 से निवृत्त)	3
6.	श्रीमती कौशल्या परमार (20.02.2023 से निवृत्त)	4

समिति की बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं

1) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

1) श्रीमती कौशल्या परमार , स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष (20.02.2023 से निवृत्त)
2) श्री रवींद्र बड़ाया , स्वतंत्र निदेशक, जयपुर (27.01.2023 से निवृत्त)
3) श्री आदित्य कुमार घोष , सदस्य

2) अंकेक्षण समिति:

समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं

1) श्री रवींद्र बड़ाया - स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष (27.01.2023 से निवृत्त)
2) श्री आदित्य कुमार घोष - सदस्य
3) श्रीमती कौशल्या परमार - सदस्य (20.02..2023 से निवृत्त)

3) निगम एवं सामाजिक दायित्व समिति:

समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं

1) श्रीरवींद्र बड़ाया - स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष (27.01.2023 से निवृत्त)
2) श्रीमती कौशल्या परमार - स्वतंत्र निदेशक - सदस्य (20.02.2023 से निवृत्त)
3) श्रीआदित्य कुमार घोष - सदस्य
4) श्रीमती जूली श्रीवास्तव - सदस्य

कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 में कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले कॉर्पोरेट अभिशासन दिशा निर्देशों में सांविधिक अंकेक्षक या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रावधान दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), वशिष्ठ एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीस्, जिनका कार्यालय दिल्ली -110092 में स्थित है से प्राप्त किया गया है और यह कॉर्पोरेट कार्यालय वाली पेशेवर कंपनी पीसीएस वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिवों से प्राप्त किया गया, जो कि कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के भाग के रूप में यहां पर संलग्न है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
एसडी/-
(जूली श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ,
DIN - 09623989

दिनांक : 18.11.2023
स्थान: मुंबई

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देश, 2010 के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

प्रति,

सदस्यगण

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

सर जेजे रोड, भायखला, मुंबई, मुंबई शहर MH-40008 IN

कंपनी अधिनियम 2013 ,की धारा (45) 2के तहत स्थापित सरकारी कंपनी रिचर्ड्सन एंड क्रूडास)1972(लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी (डीपीई)कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

हमने कथित कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा मेंटेन किए गए और हमारी समीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की भी जांच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के ,वित्तीय विवरण पर राय की अभिव्यक्ति है।

आगे हम यह टिप्पणी करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिकता और न ही दक्षता या प्रभावशीलताके बारे में आश्वासन है। ,जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ,

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर तथा हमारी समीक्षा के आधार पर एवं हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशा निर्देशों के तहत आवश्यक सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय वर्ष के 23-2022 दौरान आयोजित *निदेशक मंडल की बैठकों के बीच एक सौ 20 दिनों से अधिक का समय न होने की आवश्यकता को छोड़कर* कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है

आगे यह भी बताया जाता है कि उपरोक्त राय कंपनी द्वारा संबंधित दस्तावेजों और पत्राचार फाइलों एवं कंपनी द्वारा बनाए गए साचिवीक और अन्य वैधानिक रिकॉर्ड के साथ की गई प्रस्तुतियों पर आधारित है

कृते वशिष्ट एंड एसोसिएट्स;

(कंपनी सचिव)

एस डी /-

सीएस शोभित वशिष्ट

यूडीआइएन: F011517E000755612

एफ सी एस क्रमांक: 11517

सी पी क्रमांक: 21476

पीआर क्रमांक: 2355/2022

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक: अगस्त 7, 2023

फॉर्म क्रमांक - 3

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए साचिवीक अंकेक्षण रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

सीआईएन: U28920MH1973GOI016389

सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई शहर, महाराष्ट्र 400008, भारत

मैं, शोभित वशिष्ठ, वशिष्ठ एण्ड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, ने रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आगे 'कम्पनी' सम्बोधित) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा स्वस्थ्य कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय अंकेक्षण किया है। सचिवीय अंकेक्षण इस तरीके से किया गया था कि वह कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

कम्पनी की बहियों, कागज़ों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों व रिटर्न एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और साथ ही सचिवीय अंकेक्षण के संचालन के दौरान कम्पनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अंकेक्षण अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसके अनुरूप और अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं:

मैंने कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बहियों, कागज़ों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दाखिल किए गए प्रपत्रों व रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए) तथा उसके तहत बनाए गए नियम; **(कम्पनी पर लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम **(कम्पनी पर लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके तहत बनाए गए नियम; **(कम्पनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(a)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कम्पनी पर लागू नहीं)

(b)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015; (कम्पनी पर लागू नहीं)

(c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015; (कम्पनी पर लागू नहीं)

(d)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018; (कम्पनी पर लागू नहीं)

(e)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (कम्पनी पर लागू नहीं)
(f) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008; (कम्पनी पर लागू नहीं)
(g)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 और कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में संशोधन; (कम्पनी पर लागू नहीं)
(h)भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2009; (कम्पनी पर लागू नहीं)
(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; (कम्पनी पर लागू नहीं)

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

I. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
II. लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-GM द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों तथा दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन नीचे उल्लेखित सीमा को छोड़कर किया है;

1. वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान भारत सरकार को जारी किए गए ₹ 2,326 लाख के कुल 8% अधिमानी शेयरों को जारी करने के समय से बीस वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद आज तक भुनाया नहीं गया है। एकमात्र अधिमानी शेयरधारक, भारत सरकार के साथ 1992-1993 के दौरान जारी किए गए इन अधिमानी शेयरों को जारी करने और भुनाने के लिए नियम व शर्तों को कम्पनी द्वारा अभी तक अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालाँकि, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्थापित करने वाली कम्पनी, अधिमानी शेयरधारकों के विकल्प पर इक्कीसवें वर्ष के बाद या उससे पहले, आनुपातिक आधार पर, प्रति वर्ष ऐसे अधिमानी शेयर के न्यूनतम दस प्रतिशत की छूट पर, बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, लेकिन तीस वर्ष से अधिक नहीं, जारी कर सकती है।
2. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के अनुसार अधिमानी शेयर मोचन आरक्षित खाता नहीं बनाया है।
3. वर्ष के दौरान कम्पनी के खिलाफ विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कुछ विवाद और दावे हैं जो विभिन्न अदालतों या न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।
4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतर न होने की आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया है।
5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का E-Form CSR-2 नहीं भरा है। हालांकि कंपनी ने टिकट क्रमांक FO_202307221010588 के माध्यम से E-Form CSR-2 भरते समय आ रही तकनीकी त्रुटि के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को टिकट जारी कर दिया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

कम्पनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकोंके उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडे तथा एजेंडे पर विस्तृत नोट्स बैठक के पहले से भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडे पर और अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की बैठकों में निर्णय, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सर्वसम्मति से लिए गए थे।

असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बैठकों के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और मेरे भरोसे के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और संचालन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएँ हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया और प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कम्पनी के मामलों पर महती असर डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्य नहीं थे।

कृते वशिष्ट एंड एसोसिएट्स;
(कंपनी सचिव)
एस डी /-
सीएस शोभित वशिष्ट
यूडीआइएन: F011517E000755612
एफ सी एस क्रमांक: 11517
सी पी क्रमांक: 21476
पीआर क्रमांक: 2355/2022

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : अगस्त 7, 2023

नोट्स:

i. इस रिपोर्ट को समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे अनुलग्नक A के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक-**A**

प्रति,

सदस्यगण,

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

सीआईएन: U28920MH1973GOI016389

सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई शहर, महाराष्ट्र 400008, भारत

इस पत्र के साथ समसंख्यक दिनांक की यह रिपोर्ट पढ़ी जानी चाहिए:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. मैंने अंकेक्षण अभ्यासों और प्रक्रियाओं का पालन किया है ,जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होना सुनिश्चित हो सके। मेरा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और अभ्यासों का पालन किया है, वे मेरी राय का समुचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खाता बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
5. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वशिष्ट एंड एसोसिएट्स;

(कंपनी सचिव)

एस डी /-

सीएस शोभित वशिष्ट

यूडीआइएन: F011517E000755612

एफ सी एस क्रमांक: 11517

सी पी क्रमांक: 21476

पीआर क्रमांक: 2355/2022

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : अगस्त 7, 2023

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण,

रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

1. राय

हमने इस रिपोर्ट के साथ प्रदत्त रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं। (जिसे इसके पश्चात "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" संदर्भित किया गया है)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, हमारी रिपोर्ट के "राय का आधार" नामक भाग के अंतर्गत उल्लेखित मामले के प्रभावों के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और लाभ के अनुसार उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

2. राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों ("एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. मामले की अहमियत -

1. हम आपका ध्यान कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1ए (ई) (v) पर आकर्षित करते हैं, जिसमें स्कार्प का मूल्य पिछले वर्ष के मूल्य के अनुसार बताया गया है और 31 मार्च 2023 तक शुद्ध प्राप्य मूल्य के अन्तर का कोई समायोजन नहीं किया गया है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कुल मात्रा की तुलना में उसकी स्क्रैप मूल्य महत्वहीन है।
2. हम आपका ध्यान कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के नोट में से "**नोट संख्या 27**" पर आकर्षित करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नागपुर तथा चेन्नई में कोई भी इंजीनियरिंग गतिविधि नहीं की गई है। इससे कंपनी की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और कंपनी की आय का प्राथमिक स्रोत उसके मुंबई परिसरों को विभिन्न सरकारी संस्थानों को लीज़ और लायसेन्स पर किराये के आधार पर देना, विभिन्न कार्यक्रमों/आयोजनों/बैठकों आदि के लिए दैनिक आधार पर किराये पर देना बना हुआ है। एचपीसीएल की कॉर्पोरेट भवन की लीज़ तथा भायखला में बीएमसी जम्बो कोविड सुविधा अस्पताल के बंद होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान किराये से होने वाली आय और भी कम हो गई।

3. अधिमानी शेयरों के मोचन के लिए भारत सरकार के साथ नियमों व शर्तों को अन्तिम रूप न दे पाने के कारण कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 और उस पर बनाए गए नियमों के अनुसार अधिमानी शेयर मोचन आरक्षित लेखे बनाने में सक्षम नहीं रही है। **(नोट संख्या 28 देखें**)
4. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के **'नोट नंबर 30'** का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि, विभिन्न पक्षों और सरकारी प्राधिकरणों (व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, जमा, सांविधिक देय, ऋण और अग्रिम, अन्य वर्तमान देनदारियों और पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित) के कारण/ से बकाया हैं जिनका पुष्टीकरण और नवीनीकरण होना चाहिए। ऐसे सभी बकाया तालिका में संक्षेप में दिए गए हैं तथा ये सभी शेष अप्रैल 2017 से बकाया हैं। कंपनी ने पहले के वर्षों में ऐसे डेबिट बैलेंस (जो अभी भी बही-खातों में जारी हैं) के लिए प्रावधान बनाया है, लेकिन इसे बही-खातों में नहीं डाला गया है।
5. हम आपका ध्यान कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के **नोट संख्या 32** की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि, वित्तीय वर्ष 2022 -23 के दौरान नागपुर, मुलुंड और भायखला इकाइयों में परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
6. नागपुर में कंपनी की '3' इकाइयां (1) प्लॉट क्रमांक एफ-16, एमआईडीसी, हिंगना रोड, (2) वनडोंगरी में टीटीएस इकाई (3) एम आई डी सी, सोनेगांव में SICOM शेड हैं। नोट '10' के अनुसार कुल वस्तुसूची का मूल्य रु. 142.16 लाख उल्लेखित किया गया है जिसे कच्चे माल, डब्ल्यूआईपी, तैयार माल और स्क्रैप/कॉमपोनेन्टस में बांटा गया है। हालांकि, 'अंकेक्षण टीम' द्वारा भौतिक रूप से वहाँ जाने पर यह पाया गया कि एमआइडीसी, हिंगना रोड के प्लॉट पर सभी वस्तुएं बिखरी/अस्तव्यस्त पड़ी हैं। नागपुर की इकाइयों में वस्तुओं के अलग अलग न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि नोट 10 में उल्लेखित वस्तुएं नागपुर की उन '3' इकाइयों में उपलब्ध हैं।
7. एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध कंपनी के मास्टर डाटा के अनुसार कंपनी का एक अचल संपत्ति के विरुद्ध पुराना बकाया या ब्याज है, जिसकी कीमत रु. 14 लाख है, तथा जो 30 नवंबर 1972 को अस्तित्व में था। हमें दी गई जानकारी तथा समझाइश के अनुसार कंपनी पर ऐसा कोई बकाया शेष नहीं है। कंपनी, अचल संपत्ति का पता लगाकर, किराये पर देने वाले को पहचानकर इस बकाया को पता करने तथा खत्म करने की प्रक्रिया आरंभ कर चुकी है।

इन मामलों के संदर्भ में हमारी राय बदली नहीं है।

4. वित्तीय विवरण और उसपर ऑडिटर की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी की तैयारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रेपोत में शामिल जानकारी तथा कॉर्पोरेट अभिशासन के अनुपालन शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और उस पर हम किसी भी प्रकार का आश्वासन और निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और, ऐसा करने में, यह देखने की है कि क्या यह अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई गलतबयानी है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में हमें रिपोर्ट करने लायक कोई भी ऐसी बात नहीं मिली।

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रभारियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो लेखांकन सिद्धांतों और अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखांकन सिद्धांतों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और प्रासंगिक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो, इस लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली गलतबयानी से रहित एक सही और और निष्पक्ष दृश्य देनेवाले स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, ज़रूरत पड़ने पर चालू संस्था से सम्बन्धित मामलों का खुलासा करने, तथा चालू संस्था लेखांकन का आधार का प्रयोग करने के लिए प्रबन्धन जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध न हो।
निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

6. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित निश्चितता प्राप्त करना, कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, और एक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन को उच्च स्तर का आश्वासन कहा जाता है, किन्तु यह कोई गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक अंकेक्षण हमेशा ही गलतबयानी होने पर उसका पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती हो।

एसएएस)SAS) के अनुरूप अंकेक्षण के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे अंकेक्षण के दौरान हम पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और हमारी राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं। त्रुटि की तुलना में धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यह भी कि कंपनी के पास क्या ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- यह निष्कर्ष भी निकलते हैं कि चालू संस्थान आधारित लेखांकन के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने अंकेक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे अंकेक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी का चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना रुक सकता है।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जिनमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और यह मूल्यांकन भी करते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की उचित प्रस्तुति करता है।

अहमियत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम निम्न में मात्रात्मक अहमियत और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे अंकेक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथसाथ- अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित अंकेक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के बारे में, अभिशासन के प्रभारित लोगों से संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारित लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं जिसमें, हम बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी मामलों के बारे में, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालते हों, उनके साथ संवाद करते हैं।

शासन के प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख अंकेक्षण मामले हैं। हम अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं बशर्ते कि कानून या विनियमन उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस तरह के संचार के जनहित लाभों से यथोचित रूप से अधिक होने की सम्भावना हो।

7. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

I (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी ऑडिटर) आदेश (की रिपोर्ट, 2020 ("द ऑर्डरकी आवश्यकतानुसार (", संशोधित रूप में, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक ए" में एक बयान देते हैं।)

(b) भारत के नियंत्रक और महाऑडिटर द्वारा जारी निर्देशों और उपनिर्देशों पर कंपनी की बहियों और अभिलेखों की -

ऐसी जांचों के आधार पर, जैसा कि हमें उचित लगा, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में हम अपनी रिपोर्ट में संलग्न कर "अनुलग्नक बी" रहे हैं।

II. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

a. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

b. जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक उचित खाता बहियां रखी गई हैं, ।

c. इस रिपोर्ट से सरोकार रखने वाले बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण बहीखाते के - अनुरूप हैं।

d. हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट एएस के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

e. 31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिये गये निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2022 तक अधिनियम की धारा 164)2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के अयोग्य नहीं है। हालांकि दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना क्रमांक GSR 463 (E) के अनुसार सरकारी कंपनियाँ अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों से मुक्त है।

f. हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी मायनों में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहा था। “**अनुलग्नक C**” में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट को देखें

g. कंपनी)अंकेक्षण और अंकेक्षकनियम (, 2014, संशोधित, के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तक तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुक़दमेबाज़ी के प्रभाव का खुलासा किया है। - **देखें नोट 26**

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उसे कोई महत्वपूर्ण हानि हुई थी।

iii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (a) प्रबंधन ने प्रदर्शित किया कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी फंड (व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से) को आगे नहीं बढ़ाया गया या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार के फंड से) विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों"") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्थाओं में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में पहचान या निवेश करेगा किसी भी तरीके से या कंपनी की ओर से (अंतिम लाभार्थी"") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही कुछ भी प्रदान नहीं किया गया;

(b) प्रबंधन ने प्रदर्शित किया है, कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी फंड (व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर) विदेशी संस्था (“फंडिंग पार्टियां”) समेत किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त

नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों"") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करेगी;

(c) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(e) के उप खंड-(i) और)ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया, में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी हो।

v. लाभांश की घोषणा और भुगतान के संबंध में:

(a)कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है, इसलिए उक्त धारा लागू नहीं होती है।
(b)कंपनी का वर्ष के लिए लाभांश का प्रस्ताव करने का इरादा नहीं है, इसलिए उक्त धारा लागू नहीं होती है।

कंपनी ने अपनी अकाउंट बुक्स के रखरखाव के लिए मार्च, 2023 तक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 'टैली प्राइम सिस्टम' का इस्तेमाल किया है जिसमें 'ऑडिट ट्रेल' रिकॉर्ड करने की सुविधा थी, लेकिन कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए लेनदेन के -लिए ऑडिट ट्रेल की सुविधा संचालित नहीं की गई थी। हालांकि दिनांक 31.03.2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रावधान को 01.04.2023 तक स्थगित कर दिया गया है।

कृते जैन चौधरी एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W
एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन: 23104709BGULXS1005

'मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की समतिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 7 (1) (ए) में संदर्भित 'अनुलग्नक-ए'।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांच की गई लेखा पुस्तकों तथा अभिलेखों के अनुसार, हम कहते हैं कि:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

(a) (A) कंपनी ने अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं रखा है। हालाँकि, कंपनी ने मेमोरेंडम रिकॉर्ड रखा है जिसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता है।

(B) कंपनी के पास 31 मार्च, 2023 तक अपनी बहियों में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(b) उक्त वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, किन्तु हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि वहाँ तीन वर्षों में एक बार संपत्तियों के सत्यापन का नियमित कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भौतिक सत्यापन किया जाना था। हालांकि, किसी भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में तथा उपरोक्त खंड (1) (a) में संदर्भित समाधान की अनुपस्थिति में, हम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनुसार सभी अचल संपत्तियों को इस सत्यापन कार्यक्रम के तहत सत्यापित किया गया है या नहीं। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार तथा इसकी संपत्ति की प्रकृति के बाबत उचित नहीं है। इसे वार्षिक तौर पर आयोजित करना आवश्यक है।

(c) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक, नीचे को छोड़कर अन्य अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की अचल संपत्ति अनुसूची में प्रकट किया गया है:

(i) घाटकोपर (मुंबई) स्थित 20 फ्लैटों के मूल स्वामितत्व विलेख अनुपलब्ध हैं, कम्पनी के पास केवल एग्रीमेंट सेल्स डीड की प्रमाणित पक्की नकल उपलब्ध हैं.

(ii) मुलुंड, मुंबई में फ्लैट (शेयर प्रमाण पत्र की केवल पक्की नकल उपलब्ध)

(iii) वनडोंगरी में नागपुर (टीटिएस) (संपत्ति के कागजात की केवल फोटोकॉपी उपलब्ध)

(iv) एमआइडीसी, सोनेगांव, नागपुर में G/12/2 पर संपत्ति (संपत्ति के कागजात की प्रमाणित पक्की नकल उपलब्ध)

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स के नोट संख्या 29 (बी) का संदर्भ लें, मुलुंड में स्थित संपत्ति जो एक पट्टा संपत्ति है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में सृजित शुल्क समेत पट्टेदारों द्वारा विभिन्न शुल्कों द्वारा भारग्रस्त थी जिसने कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया को बाधित किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। **नोट 43 देखें।**

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

ii. भंडार-सूची

(a) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक, कंपनी की नागपुर इकाइयों में माल-सूची उपलब्ध थी। अंकेक्षण वर्ष के दौरान ऐसी इकाइयों में कंपनी द्वारा माल-सूची का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसे हमारी स्वतंत्र अंकेक्षक रिपोर्ट के पैरा 3(vi) में दिए गए रिमार्क के साथ पढ़ा जाए।

(b) कंपनी द्वारा वर्तमान संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ii)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक तथा कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियां में कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं किया है या कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए, खंड 3 (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं दिया या कोई निवेश नहीं किया या गारंटी नहीं दी या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की।

v. कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का जमा या राशि स्वीकृत नहीं की है और इसीलिए भारतीय रीज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 के अंतर्गत संदर्भित जनता से जमा नियम के तहत अधिसूचित सीमा तक कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है।

vi. वर्ष के दौरान कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार से कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, टर्नओवर मानदंड जो लागत रिकॉर्ड के रखरखाव की प्रयोज्यता के लिए उक्त खंड में निर्दिष्ट है, कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इसलिए, हमारी राय में, कंपनी को कोई लागत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

vii. हमारे द्वारा जाँच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के मुताबिकः

(a) कंपनी नियमित रूप से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा कोष, बिक्री कर, सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, जीएसटी, उपकर या किसी भी अन्य सांविधिक देय राशि सहित अविवादित वैधानिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कराती है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2023 तक पूर्वोक्त देय राशि के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थी। हालांकि, नीचे दी गई तालिका में पहचानी गई बकाया राशि के संबंध में सूचना/दस्तावेज पिछले वर्षों से कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी ने ऐसे पुराने दावा न किए गए बकाया के लिए न तो कोई प्रावधान किया है और न ही 'आकस्मिक देयताएं' के तहत इनका खुलासा किया है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹. लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है
वृत्ति कर अधिनियम	वृत्ति कर - चेन्नई	5.47	2010 से पहले
आय कर अधिनियम,1961	कर्मचारियों से लिया गया कर - चेन्नई	0.60	2010 से पहले
कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम, 1948	ईएसआई - चेन्नई	4.66	2010 से पहले
कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान अधिनियम, 1952	ईपीएफ- चेन्नई	20.06	2010 से पहले
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ कार्य अनुबंध कर - चेन्नई	3.89	सितंबर 2015 से पहले

(b) 31/03/2023 तक के कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्न आयकर या बिक्री कर या सेवा कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर के **विवादित बकाये** के विवरण हैं जो 31 मार्च, 2023 तक बकाया हैं।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹. में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
कार्य संविदा कर	कार्य संविदा कर नागपुर	1.79	1986-1989	मुंबई ट्रिब्यूनल
कार्य संविदा कर	कार्य संविदा कर नागपुर	0.44	1989-1990	मुंबई ट्रिब्यूनल
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	मुंबई बिक्री कर - नागपुर	0.97	1990-1991	मुंबई ट्रिब्यूनल
बंबई बिक्रीकर अधिनियम, 1959 / केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	बंबई बिक्री कर / केन्द्रीय बिक्री कर	0.55	1993-1994	मुंबई ट्रिब्यूनल
बंबई बिक्रीकर अधिनियम, 1959 / केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	बंबई बिक्री कर / केन्द्रीय बिक्री कर नागपुर	11.79	2000-2001	मुंबई ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय बिक्री कर - नागपुर	8.14	1997-1998	नागपुर अपील
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	केन्द्रीय बिक्री कर - नागपुर	62.96	2002-2003	नागपुर अपील
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क - भायखला	285.00	2010 से पहले	मुंबई
बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर - भायखला	173.68	2010 से पहले	मुंबई
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क - भायखला	101.08	2010 से पहले	मुंबई
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	2.49	आ.व.2009-2010	आयकर अपील ट्रिब्यूनल, मुंबई
श्रम कानून	ईपीएफ के लिए योगदान के भुगतान में डिफ़ॉल्ट - मुलुंड	152.37	2010 से पहले	मुंबई

viii. वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था, जिसे आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix. (a) कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को ऋण या उधार या वर्ष के दौरान डिबेंचर धारकों को कोई बकाया चुकाने में चूक नहीं की है।

(b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(c) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और 31.03.2022 तक कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(d) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (d) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(e) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने खाते में या अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या बाद के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(b) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (a) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक, हमारे ऑडिट की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी का मामला देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(b) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कंपनीज (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(c) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और इस तरह के लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv. (a) हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली है।

(b) हमने अपनी लेखा प्रक्रियाओं के चरित्र, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अंकेक्षण की अवधि के वर्ष के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कम्पनी को जारी आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है; इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (a) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(b) हमारी राय में, कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी ने वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix. वित्तीय अनुपात, समय बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान तथा पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें यह विश्वास हो कि अंकेक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी सामग्री अनिश्चित रूप से मौजूद है जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बकाया हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम दोहराते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग अंकेक्षण रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है। और हम ऐसी कोई गारंटी या आश्वासन प्रदान नहीं करते हैं कि बैलन्स शीट की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि तक बकाया सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा समय पर चुका दी जाएंगी।

xx. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार कंपनी को सीएसआर पर रुपये 45.29 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता थी। कंपनी ने दिनांक 31.03.2023 तक रुपये 0.20 लाख खर्च किए तथा बचे रुपये 45.09 लाख को चालू सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च किया। कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII तथा कथित अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी द्वारा ऐसी अव्ययित राशि को 30.04.23 को या उसके पहले एक अलग बैंक खाते में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी जिसे नहीं किया गया।

xxi. कंपनी ने ऑडिट के तहत वर्ष के लिए स्टैंडअलोन आधार पर अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते जैन चौधरी एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W
एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन: 23104709BGULXS1005

"अनुलग्नक-बी" स्वतंत्र ऑडिटर्स की रिपोर्ट के लिए

पैराग्राफ 7 (1) (b) में संदर्भित शीर्षक "अन्य कानूनी और विनियामक जरूरतों पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत, कंपनी के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 143 (5) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी के निर्देशों पर रिपोर्ट

क्रमांक	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और उप-निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्यवाही पर अंकेक्षकों का जवाब	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी अकाउंटिंग लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखा लेनदेन प्रक्रिया का खातों की अखंडता और वित्तीय निहितार्थ पर होने वाले प्रभावों का, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	कम्पनी के सभी अकाउंटिंग लेनदेन तक 'टैली प्राइम सिस्टम' के माध्यम से संसाधित किए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान, यह सत्यापित किया गया था कि उक्त प्रणाली के बाहर कोई अकाउंटिंग लेनदेन संसाधित नहीं किया गया था।	शून्य
2	क्या कम्पनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण की कोई पुनर्संरचना करने या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों की जांच ठीक से की गई थी? (यदि कोई ऋणदाता सरकारी कंपनी हो, तो सांविधिक अंकेक्षकों के लिए उसके निर्देश भी लागू होते हैं।	ऑडिट के दौरान और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के मुताबिक, कम्पनी ने किसी भी बाहरी निकाय से कोई ऋण/कर्ज नहीं लिया है। इसलिए, पुनर्संरचना/राइट ऑफ/ छूट का मामला नहीं बनता है।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं (अनुदान/ सब्सिडी आदि) के लिए प्राप्त / प्राप्त होने वाली धनराशि को उनकी शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा रखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	वित्तीय वर्ष 2022 -23 के दौरान कम्पनी द्वारा केंद्रीय राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।	शून्य

कृते जैन चौधरी एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W
एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन: 23104709BGULXS1005

"अनुलग्नक -सी" स्वतंत्र ऑडिटर्स की रिपोर्ट के लिए

(मार्च 31, 2023 को खत्म होने वाले वर्ष की कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी समतिथि की रिपोर्ट में अनुच्छेद 7 (II) (f) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने रिचर्ड्सन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड ("कंपनी") की 31 मार्च 2023 तक की उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण किया है।

1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर दिशानिर्देश टिप्पणियों में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसका रखरखाव करने के लिए (मार्गदर्शन नोट) जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में शामिल हैं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन; इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक रूप में विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी सहित, इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

2. अंकेक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना अंकेक्षण मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत, एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिए लागू सीमा तक, निर्धारित माने गए अंकेक्षण के मानकों के अनुरूप आयोजित किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणियों के तहत यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और अंकेक्षण की योजना बनाएं और उसका क्रियान्वयन इस प्रकार से करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है या नहीं और उसका रखरखाव होता है या नहीं और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी सारभूत मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं संचालित करना भी शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, एक सारभूत कमजोरी उपस्थित होने के जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की संरचना और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर

करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के सारभूत गलत विवरण के जोखिम, जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी अंकेक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में एक उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गयी एक प्रक्रिया है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शात हैं;

(2) वह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए अभिलेखित किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही संचालित किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक सारभूत प्रभाव डाल सकता है।

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन की संभावना सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हुई सारभूत गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

5. राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी सारभूत मामलों में, पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो कंपनी द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे।

अन्य मामले

आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार, कंपनी को उन नीतियों और प्रक्रिया के लिए एक एसओपी मैट्रिक्स तैयार करना और अपनाना होगा, जिनका पालन कंपनी को करना होगा। हालांकि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के सभी लेन-देन को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और सहायक कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया गया है। हालांकि, नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए ऐसे एसओपी मैट्रिक्स को तैयार करने की सलाह दी जाती है।

कृते जैन चौधरी एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या. 113267W
एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता क्रमांक. 104709

स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन: 23104709BGULXS1005

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 4 सितंबर 2023 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

एसडी/-

(गुलजारी लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02 नवंबर 2023

31/03/2023 के अनुसार बैलेंस शीट

(₹. लाख में)

विवरण		नोट नं.	31.03.2023 के अनुसार	31.03.202 के अनुसार
इक्विटी एवं देनदारियां				
शेयरधारकों के फंड				
(a)	शेयर पूंजी	2	15,661.05	15,661.05
(b)	आरक्षित एवं अधिशेष	3	10,342.83	9,070.38
(c)	शेयर वारंट के सहारे प्राप्त धनराशि		-	-
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि			-	-
गैर-मौजूदा देनदारिया				
(a)	दीर्घकालिक उधार		-	-
(b)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)		44.78	41.96
(c)	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	120.82	57.89
(d)	दीर्घकालिक प्रावधान	5	52.37	46.49
मौजूदा देनदारियां				
(a)	अल्पकालिक उधार		-	-
(b)	व्यापार देय: -	6		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय राशि		1.56	1.53
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय राशि		1,125.85	1,139.35
(c)	अन्य वर्तमान देनदारियां	7	1,746.81	2,392.63
(d)	अल्पकालिक प्रावधान	8	1.87	19.58
		कुल	**29,097.94**	**28,430.86**
परिसंपतियां				
गैर-मौजूदा परिसंपतियां				
(a)	(i) संपति, संयंत्र और उपकरण	9	675.46	700.64
	(ii) अमूर्त परिसंपतियां	9	-	-
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य	9	-	-
	(iv) विकास के तहत अमूर्त परिसंपतियां	9	-	-
(b)	गैर-मौजूदा निवेश		-	-
(c)	आस्थगित कर परिसंपतियां (शुद्ध)		-	-
(b)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		-	-
(c)	अन्य गैर-मौजूदा परिसंपतियां		-	-
वर्तमान परिसंपतियां				
(a)	वर्तमान निवेश		-	-
(b)	माल-सूची	10	142.16	142.16
(c)	व्यापार प्राप्य राशियां	11	197.28	755.30
(d)	नकद और नकद के समतुल्य	12	26,349.84	25,158.50
(e)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	1,043.51	1,070.02
(f)	अन्य मौजूदा परिसंपतियां	14	689.69	604.24
		कुल	**29,097.94**	**28,430.86**
महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियां		1 A		

संलग्न नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता नं. 104709

स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन : 23104709BGULXS1005

एसडी/-
श्री आदित्य कुमार घोष
निर्देशक
DIN : 09222808

एसडी/-
संजय कुमार ओझा
सिएफओ एवं सी एस
स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 सितंबर 2023

एसडी/-
श्रीमती जूली श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN : 09623989

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹. लाख में)

विवरण		नोट नं.	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व				
(a)	सेवाओं की बिक्री	15	225.58	299.36
(b)	अन्य प्रचालन राजस्व	16	1,254.05	1,662.50
(c)	अन्य आय	17	1,431.85	1,289.89
	कुल आय		**2,911.48**	**3,251.75**
खर्च				
(a)	खपत किए गए माल की लागत	18	-	-
(b)	व्यापर मे स्टॉक की खरीद	-	-	-
(c)	तैयार माल की माल-सूची में परिवर्तन, प्रगति पर कार्य तथा व्यापार में स्टॉक	19	-	15.38
(d)	सीधे प्रचालन खर्च	20	313.91	371.41
(e)	कर्मचारियों को लाभार्थ खर्च	21	94.30	100.62
(f)	वितीय लागते		-	-
(g)	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	9	30.89	34.17
(h)	अन्य खर्च	22	383.35	528.19
	कुल खर्च		**822.45**	**1,049.77**
असाधारण, प्रत्याशित आइटम और पूर्व अवधि के समायोजन से पहले लाभ/(हानि)।			2,089.03	2,201.98
घटाए: पूर्व अवधि आइटम		23	0.06	3.56
घटाए: असाधारण आइटम		24	389.57	(346.07)
असाधारण आइटम			-	-
कर से पूर्व लाभ/(हानि)			**1,699.40**	**2,544.49**
कर खर्च		25	426.95	609.83
प्रचालन जारी रखने से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**1,272.45**	**1,934.66**
प्रचालन बंद करने से लाभ / (हानि)			-	-
प्रचालन बंद करने से कर			-	-
प्रचालन बंद करने से लाभ/(हानि)			-	-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)			1,272.45	1,934.66
प्रति इक्विटी शेयर आय (मूल और विरलीकृत)				
(a)	**मूलभूत**		₹ 95.42	₹ 145.08
(b)	**विरलीकृत**		**₹ 95.42**	**₹ 145.08**
महत्वपूर्ण एकाउंटिंग नीतियां		1 A		

साथ में दिए गए नोट्स लाभ और हानि के विवरणो का एकीकृत हिस्सा हैं और उन्हें इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

हमारी समसंख्यक दिनांक की संलग्न रिपोट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता नं. 104709

स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन : 23104709BGULXS1005

एसडी/-
श्री आदित्य कुमार घोष
निर्देशक
DIN : 09222808
एसडी/-
संजय कुमार ओझा
सिएफओ एवं सी एस
स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 सितंबर 2023

एसडी/-
श्रीमती जूली श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN : 09623989

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹. लाख में)

	विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
A.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	शुद्ध लाभ	1,272.45	1,934.66
	समायोजन		
	ब्याज आय	(1,427.50)	(1,282.55)
	आस्थगित कर	2.82	79.81
	अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ	-	(220.36)
	मूल्यह्रास	30.89	34.17
		(121.34)	**545.73**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		
	समायोजन :		
	माल-सूची में (बढोत्तरी)/ह्रास	-	15.37
	व्यापार और अन्य प्राप्य में (बढोत्तरी)/ह्रास	558.02	(157.53)
	अल्पकादिक ऋण एवुं अग्रिम में बढोत्तरी/ (ह्रास)	26.51	67.19
	अन्य मौजूदा परिसंपतियों में (बढोत्तरी)/ ह्रास	-	-
	व्यापार देयताओ में बढोत्तरी/(ह्रास)	(13.46)	(89.40)
	अन्य मौजूदा देनदारियों में बढोत्तरी/(ह्रास)	(645.82)	653.41
	अल्पकादिक प्रावधानो में बढोत्तरी/(ह्रास)	(17.71)	(20.96)
	अन्य दीर्घकालिक देनदारियों में बढोत्तरी/ (ह्रास)	62.93	(62.93)
	दीर्घकालिक प्रावधानो में बढोत्तरी/(ह्रास)	5.88	13.55
	प्रचालन गतिविधिओ से शुद्ध नकद *: (A)*	(144.99)	964.43
B	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अचल परिसंपतियों की (खरीद)/बिक्री (शुद्ध)	(5.71)	222.48
	आवधिक जमाओ पर ब्याज	1,427.50	1,282.55
	बैंक एफडीआर पर प्राप्त ब्याज में (बढोत्तरी)/ह्रास (अन्य मौजूदा परिसंपतिया)	(85.45)	234.59
	अन्य गैर-मौजूदा परिसंपतिया में (बढोत्तरी)/ह्रास (1 वर्ष से अधिक समय में पूरी हो रही एफडी)	-	153.33
	निवेश गतिविधिओ मे प्रयुक्त शुद्ध नकद : (B)	1,336.34	1,892.95
C	**वित्तीय गतिविधिओ से नकदी प्रवाह**		
	शेयर पूंजी मे (बढ़ोतरी)/ह्रास	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह: *: (C)*	-	-
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में शुद्ध बढोत्तरी / (ह्रास) ((A+B+C)	**1,191.35**	**2,857.38**
D	**नकदी और नकदी समतुल्य**		
	शुरुआती बैलेंस	25,158.50	22,301.11
	अंतिम बैलेंस	26,349.84	25,158.50
		1,191.34	**2,857.39**

पिछले वर्ष के आँकड़ों को अब आवश्यकतानुसार पुनर्संयोजित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी समसंख्यक दिनांक की संलग्न रिपोट के अनुसार।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण नं. 113267W

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एसडी/-
सीए सिद्धार्थ जैन
पार्टनर
सदस्यता नं. 104709

स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 सितंबर 2023
यूडीआईएन : 23104709BGULXS1005

एसडी/-
श्री आदित्य कुमार घोष
निर्देशक
DIN : 09222808

एसडी/-
संजय कुमार ओझा
सिएफओ एवं सी एस
स्थान : मुंबई
दिनांक : 4 सितंबर 2023

एसडी/-
श्रीमती जूली श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN : 09623989

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट।

नोट 1: कंपनी की जानकारी

रिचर्डसन एंड क्रुडास (**1972**) लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है जो डीएचआई के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसका पंजीकृत कार्यालय सर जेजे रोड, बायकुला मुंबई में है। कंपनी का प्रबंधन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी की चार इकाइयां मुंबई में बायकुला, मुलुंड, नागपुर और चेन्नई में स्थित हैं। कंपनी सबसे सफल इंजीनियरिंग कंपनी में से एक रही है जिसने सीएसएमटी और घनसोली रेलवे स्टेशन की स्टील संरचना, एलपीजी बुलेट, भोपाल में भेल के लिए पूर्ण सीएनसी ब्लॉक जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूरा किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 06.10.2016 के निर्णय के अनुसरण में चेन्नई इकाई को बंद कर दिया गया है और नागपुर इकाई में भी कोई प्रचालन नहीं है। वर्तमान में कंपनी प्रचालन के पुनर्गठन के अधीन है। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी द्वारा किए गए प्रचालनों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

a) **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ["जीएएपी"] के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करने के लिए तैयार किया है। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत समझोते के तहत संचय के आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में उपयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी का प्रबंधन अनुमान और धारणाएं बनाए जो अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, परिसंपत्तियों और देनदारियों के रिपोर्ट किए गए संतुलन और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार मौजूदा या गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मौजूदा या गैर-मौजूदा वर्गीकरण के उद्देश्य से इसके प्रचालन चक्र को बारह महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

b) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की लागत को घटाकर संचित मूल्यह्रास बताया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तक वित्तपोषण लागत सहित सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। पीपीई के लिए ऋण पर ब्याज को चालू होने की तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है। उपकरणों के साथ खरीदे गए पुर्जों और उपकरणों को पूंजीकृत किया जाता है।

c) **मूल्यह्रास**

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट रूप में परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर स्टेट-लाइन पद्धति पर प्रदान कया जाता है। अवधि के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

d) परिसंपत्तियों की हानि

अचल संपत्तियों के वहन मूल्य का मूल्यांकन तब किया जाता है जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

e) **मालसूचियों का मूल्यांकन-**

i. कच्चे माल, घटकों, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स को एफआईएफओ आधार पर लागत मूल्य पर मापा जाता है।

ii. कार्य-प्रगति का निर्धारण पूर्णता की लागत और अस्वीकार्य वृद्धि दावों पर विचार किए बिना लागत में कमी या भविष्य की बिलिंग के आधार पर किया जाता है। लागत का अर्थ है वहन किया गया खर्च।

iii. तैयार माल का निर्धारण लागत के कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।

iv. खुले उपकरणों की लागत शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित की जाती है।

v. स्क्रैप की लागत शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित की जाती है।

f) **आय मान्यता**

i. सामग्री की बिक्री: सामग्री के प्रेषण पर बिक्री को मान्यता दी जाती है। बिक्री में वस्तुओं, सेवाओं की बिक्री, स्क्रैप शामिल है और इसमें वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं है। टर्न-की अनुबंधों के तहत बिक्री ग्राहक के निर्देश के तहत रखी गई सामग्री और / या सामग्री के प्रेषण पर की जाती है।

ii. परियोजना आय: परियोजना आय को परियोजना प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित कार्यों की सीमा तक मान्यता प्राप्त है।

iii. पट्टे की संपतियों पर किराये की गणना लीज दर्ज करते समय पट्टा समझोते मे निर्धारित रूप मे उसकी शुरुआत की तिथि से की जाती है।

iv. मूल्य वृद्धि के दावे: ग्राहकों द्वारा दावों की स्वीकृति पर।

v. कोर्ट अवार्ड्स: रसीद के आधार पर।

vi. अनुबंध लागत में सीधे अनुबंध से संबंधित लागत और अनुबंध गतिविधि के कारण होने वाली अवधि में आवंटित और आवंटित की जाने वाली अन्य लागत और उचित रूप से अनुमानित या मान्यता प्राप्त कोई अपेक्षित हानि शामिल होती है।

vii. बिक्री अनुबंध, निर्यात, सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक, बीमा, उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क / बिक्री कर, माल और सेवा कर आदि के रेलवे रिफंड पर किए गए अतिरिक्त कार्यों पर वृद्धि के दावे स्वीकृति के वास्तविक आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

viii. निर्माण अनुबंध: आय को मान्यता/निर्धारित किया जाता है जब अनुबंध राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पूरा होने के चरण, सामग्री के प्रेषण और संबंधित अधिकृत व्यक्ति (परियोजना प्रबंधक) द्वारा दिए गए पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवाहित होगा।).

ix. अन्य प्रचालन राजस्व व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है और इसे तब मान्यता दी जाती है जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

x. ब्याज आय लागू ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।

g) **वस्तु एवं सेवा कर**

विनिर्मित वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर की गणना कारखाने से माल निकालते समय और ग्राहक के खाते में रखी सामग्री के मामले में बिलिंग के आधार पर की जाती है। प्रदान की गई सेवाओं पर जीएसटी का हिसाब चालान जारी करते समय किया जाता है। मूल्यांकन पूरा होने पर अतिरिक्त देनदारी, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है।

h) **आयकरआस्थगित कर/**

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना कर दरों और कर कानूनों को लागू करके की जाती है जो बैलेंस शीट की तारीख में लागू किए गए हैं। कर कानूनों के तहत मुख्य रूप से आगे लाए गए घाटे और अनवशोषित मूल्यह्रास के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब इसकी प्राप्ति की आभासी निश्चितता हो, जो ठोस सबूतों द्वारा समर्थित हो। समय के अन्य अंतरों के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है, जब तक इसकी प्राप्ति की उचित निश्चितता हो। प्रत्येक बैलेंस शीट में, वसूली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। यदि मूल्यांकन के कारण आयकर देनदारी में कोई परिवर्तन होता है तो मूल्यांकन पूरा होने के वर्ष में इसका हिसाब दिया जाएगा।

i) **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

i. प्रारंभिक मान्यता: लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा राशि पर लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया जाता है।

ii. रूपांतरण: विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को समापन दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है। गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में की जाती हैं, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर और मूल्य निर्धारित होने पर मौजूद विनिमय दरों का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।

iii. विनिमय अंतर: उन दरों से भिन्न दरों पर मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिस पर वे वर्ष के दौरान शुरू में दर्ज किए गए थे, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए थे, उन्हें आय के रूप में या उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

j) **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ**

भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना में कंपनी के योगदान को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है।

k) **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

वर्तमान संभावित दायित्वों के संबंध में खातों में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जिसकी राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

l) प्रति शेयर आय

कंपनी लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय के अनुसार मूल और कमजोर आय प्रति शेयर (ईपीएस) की रिपोर्ट करती है।

2 शेयर पूंजी

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
अधिकृत:		
14,00,000 (पिछले वर्ष 14,00,000) प्रत्येक 1,000/- रुपये के इक्विटी शेयर	14,000.00	14,000.00
2,50,000 (पिछले वर्ष 2,50,000) 8% प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर रु. 1,000/- प्रत्येक।	2,500.00	2,500.00
	16,500.00	**16,500.00**
जारी किया गया, सब्सक्राइब किया गया और भुगतान किया गया:		
13,33,505 (पिछले वर्ष 13,33,505) इक्विटी शेयर रु. 1,000/- प्रत्येक	13,335.05	13,335.05
2,32,600 (पिछले वर्ष 232,600) 8% प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर रु. 1,000/- प्रत्येक।	2,326.00	2,326.00
	15,661.05	**15,661.05**

नोट्स :

a) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
	शेयरों की सं.	रु. लाख में	शेयरों की सं.	रु. लाख में
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	13,33,505	13,33.5.05	13,33,505	13,335.05
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**13,33,505**	**13,335.05**	**13,33,505.00**	**13,335.05**

b) **शेयरों से संलग्न अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध**

कंपनी के पास 1,000/- रुपये के सममूल्य मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

कंपनी के पास प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य मूल्य रु. 1,000/- है।

c) **होल्डिंग/अंतिम होल्डिंग कंपनी और/या उसकी सहायक कंपनियों/सहयोगियों द्वारा रखे गए शेयर**

कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या सहायक या होल्डिंग कंपनी के सहयोगी नहीं हैं।

d) **कंपनी में 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारक का विवरण**

शेयरधारक का नाम				**31.03.2023 के अनुसार**	**31.03.2022 के अनुसार**
भारत के राष्ट्रपति (शेयरों की संख्या)				13,33,505	13,33,505
(होल्डिंग का प्रतिशत)				100%	100%

e) **कंपनी में 5% से अधिक वरीयता शेयर रखने वाले शेयरधारक का विवरण**

शेयरधारक का नाम				**31.03.2023 के अनुसार**	**31.03.2022 के अनुसार**
भारत के राष्ट्रपति (शेयरों की संख्या)				2,32,600	2,32,600
(होल्डिंग का प्रतिशत)				100%	100%

f) **जारी किए गए बोनस शेयरों की कुल संख्या, नकदी के अलावा किसी अन्य विचार के लिए जारी किए गए शेयर और पिछले वर्ष से ठीक पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयर।**

वित्त वर्ष 1718 के दौरान भारत के राष्ट्रपति को ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए नकद के अलावा अन्य विचार के लिए 1000/- रुपये मूल्य के 10,17,752 शेयर जारी किए गए थे।

पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी शेयर की पुनर्खरीद नहीं की गई है।

g) **अदत्त कॉल**

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा कोई भी कॉल अदत्त नहीं रही।

h) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई शेयर जब्त नहीं किया गया है।

i) 1992-93 के दौरान आवंटित वरीयता शेयरों के मोचन की शर्तों को भारत सरकार द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। (नोट क्रमांक 28 देखें)

3 आरक्षित निधि और अधिशेष

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
A सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष की शुरुआत में बैलन्स	43,478.39	43,478.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	-	-
अंतिम बैलन्स	**43,478.39**	**43,478.39**
B लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
वर्ष की शुरुआत में बैलन्स	(34,408.01)	(36,342.69)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	1,272.45	1,934.68
अंतिम बैलन्स	(33,135.56)	(34,408.01)
कुल A + B	**10,342.83**	**9,070.38**
4 अन्य दीर्घकालिक देनदारियां		
प्रतिभूति जमा प्राप्ति	120.82	57.89
	120.82	**57.89**
5 दीर्घकालिक प्रावधान		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	22.20	20.60
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान	30.17	25.89
	52.37	**46.49**

6 व्यापार देय राशियां

31.3.2023 के अनुसार आँकड़े (₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	1.56	-	-	-	1.56
अन्य	30.59	29.65	-	-	60.24
विवादास्पद देय -एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादास्पद देय	-	-	-	1,065.61	1,065.61
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**32.15**	**29.65**	**-**	**1,065.61**	**1,127.41**

31.3.2022 के अनुसार आँकड़					(₹. लाख में)
विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	1.53	-	-	-	1.53
अन्य	72.70	1.34	2.79	-	76.83
विवादास्पद देय -एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादास्पद देय	-	-	-	1,062.52	1,062.52
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**74.23**	**1.34**	**2.79**	**1,062.52**	**1,140.88**

7 अन्य मौजूदा देनदारियां

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
12.50% रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड, बांड धारकों पर ब्याज	45.91	45.91
रेलवे पथ किराया देय	9.40	9.40
ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि	294.27	804.10
अन्य देनदारियां	899.98	860.92
अन्य देय राशियां		
वेट, सेवा कर तथा कार्य अनुबंध कर	15.30	15.30
स्त्रोत पर कर कटौती (आईटी)	4.10	9.61
स्त्रोत पर कर कटौती (जीएसटी)	1.32	1.56
समान और सेवा कर	1.51	34.06
भविष्य निधि तथा अन्य कर्मचारी कटौतियां	2.34	2.62
देय आयकर	11.43	189.27
वेतन तथा प्रतिपूर्तियां		
देय कर्मचारी लाभ	0.57	8.16
देय कर्मचारी लाभ (पुराने)	24.96	24.96
सीएसआर योगदान देय	45.09	-
ग्राहकों से अग्रिम	376.60	376.60
अग्रिम किराए	14.03	10.16
	1,746.81	**2,392.63**

8 अल्पकालिक प्रावधान

ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.39	12.54
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान	1.48	7.04
	1.87	**19.58**

9	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	(₹. लाख में)
	विवरण	01.04.2022 के अनुसार	जोड़	कटौतियां/ समायोजन	31.03.2023 के अनुसार	01.04.2022 तक	वर्ष के लिए	कटौतियां/ समायोजन	31.03.2023 तक	31.03.2023 के अनुसार	01.04.2022 के अनुसार
(i)	**मूर्त संपतिया**										
1)	पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन	147.86	-	-	**147.86**	-	-	-	**-**	147.86	147.86
	पट्टे की जमीन	10.06	-	-	**10.06**	10.06	-	-	**10.06**	-	-
		157.92	-	-	**157.92**	10.06	-	-	**10.06**	147.86	147.86
2)	इमारतें, सड़कें, दीवारें, छत, पानी की आपूर्ति, जल निकासी	1,027.71	5.70	-	**1,033.41**	601.42	13.38	-	**614.80**	418.61	426.29
3)	रेलवे साइडिंग	0.03	-	-	**0.03**	0.03	-	-	**0.03**	-	-
4)	संयंत्र और मशीनरी	1,278.18	-	-	**1,278.18**	1,217.88	1.81	-	**1,219.69**	58.49	60.30
	घटाएं : संपती की हानि के लिए प्रावधान	(74.62)	-	-	**(74.62)**	(69.84)	-	-	**(69.84)**	(4.78)	(4.78)
5)	फर्नीचर और फिक्स्चर	138.28	-	-	**138.28**	95.11	9.60	-	**104.71**	33.57	43.17
6)	वाहन	49.86	-	-	**49.86**	45.18	1.57	-	**46.75**	3.11	4.68
7)	कार्यालय और विविध उपकरण	43.54	-	-	**43.54**	40.26	0.59	-	**40.85**	2.69	3.28
8)	ब संबंधी इन्स्टलैशन	34.45	-	-	**34.45**	16.58	3.49	-	**20.07**	14.38	17.87
9)	डेटा संसाधन उपकरण	47.40	-	-	**47.40**	45.44	0.45	-	**45.89**	1.51	1.96
	कुल मूर्त परिसम्पतियां	**2,702.75**	**5.70**	**-**	**2,708.45**	**2,002.12**	**30.89**	**-**	**2,033.00**	**675.45**	**700.63**
(ii)	**अमूर्त परिसम्पतियां**										
1)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-
	कुल अमूर्त परिसम्पतियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पतियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-
	कुल	**2,702.75**	**5.70**	**-**	**2,708.45**	**2,002.12**	**30.89**	**-**	**2,033.00**	**675.45**	**700.63**
	पिछले वर्ष	**2,927.47**	**0.34**	**225.06**	**2,702.75**	**2,190.56**	**34.17**	**222.60**	**2,002.11**	**700.63**	**736.90**
(iv)	**पूंजीगत चालू कार्य**									414.46	414.46
	घटाएं: पूंजीगत चालू कार्य के लिए प्रावधान									414.46	414.46
										-	-

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
		(₹. लाख में)
10 माल-सूचियां		
(लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)		
कच्चा माल	19.47	19.47
कार्य प्रगति में	102.49	102.49
तैयार सामान	7.24	7.24
स्क्रैप एवं अवयव	12.96	12.96
	142.16	**142.16**

11 व्यापार प्राप्य

31.3.2023 के अनुसार आकडे (₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह -1वषि	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- सामान माना गया	34.86	149.97	9.62	2.83	0	197.28
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- संदिग्ध माना गया	0	0	0	0	0	0
विवादित व्यापार प्राप्तियां- सामान माना गया	0	0	0	0	0	0
विवादित व्यापार प्राप्तियां- संदिग्ध माना गया	0	0	0	21.31	5110.63	5131.94
अन्य	0	0	0	0	0	0
	34.86	**149.97**	**9.62**	**24.14**	**5110.63**	**5329.22**
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	0	0	0	21.31	5110.63	5131.94
कुल	**34.86**	**149.97**	**9.62**	**2.83**	**-**	**197.28**

31.3.2022 के अनुसार आकडे (₹. लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह -1वषि	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- सामान माना गया	366.17	3.50	28.66	0.13	356.85	755.31
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्तियां- सामान माना गया	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्तियां- संदिग्ध माना गया	-	-	-	-	4,774.33	4,774.33
अन्य	-	-	-	-	-	-
	366.17	**3.50**	**28.66**	**0.13**	**5,131.18**	**5,529.64**
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	4,774.33	4,774.33
कुल	**366.17**	**3.50**	**28.66**	**0.13**	**356.85**	**755.31**

(₹. लाख में)

विवरण		31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
12	**नकदी और बैंक में शेष राशि**		
	नकद और नकद राशि के समतुल्य		
	हाथ में नकद राशि	0.13	0.17
	बैंकों में शेष राशि		
	- चालू खाते में	119.00	57.05
	- जमा खातों में (12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाली सावधि जमा)	26,211.84	25,084.55
	- निर्धारित खातों में (12 महीनों के भीतर परिपक्व होने वाली सावधि जमा)	18.88	16.73
		26,349.85	**25,158.50**
13	**अल्पकालिक ऋण और अग्रिम**		
(i)	**आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम**		
	असुरक्षित माना जाने वाला सामान	5.01	23.02
	संदिग्ध	849.11	833.98
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(849.11)	(833.98)
		5.01	23.02
(ii)	**कर्मचारियों के लिए अग्रिम**		
	असुरक्षित माना जाने वाला सामान	0.71	0.46
	संदिग्ध	6.47	6.21
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(6.47)	(6.21)
		0.71	0.46
(iii)	**उप-ठेकेदारों के लिए अग्रिम**		
	असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
	संदिग्ध	10.60	10.60
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(10.60)	(10.60)
		-	-
(iv)	**अन्य के लिए अग्रिम**		
	असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	0.80
	संदिग्ध	12.89	12.10
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(12.89)	(12.10)
		-	0.80
(v)	**दावे और अन्य वसूली योग्य**		
	संदिग्ध	56.16	56.16
	घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(56.16)	(56.16)
		-	-

(₹. लाख में)

			विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
(vi)	**जमा**				
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	19.20	30.15
			संदिग्ध	81.61	70.64
			घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(81.61)	(70.64)
				19.20	30.15
(vii)	**पूर्वप्रदत्त व्यय**			0.41	0.55
(viii)	**शासकीय प्राधिकरणों के पास शेष शीर्ष**				
	(a)	**उत्पाद शुल्क**			
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	1.00
			संदिग्ध	18.52	17.52
			घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(18.52)	(17.52)
				-	1.00
	(b)	**सेवा कर**			
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
			संदिग्ध	18.15	18.15
			घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(18.15)	(18.15)
				-	-
	(c)	**आयकर (एमएटी प्रावधान के लिए शुद्ध)**			
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	997.08	997.08
			संदिग्ध	0.50	0.50
			घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(0.50)	(0.50)
				997.08	997.08
	(d)	**समान एवं सेवा कर**			
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	21.11	16.96
	(e)	**बिक्री कर**			
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
			संदिग्ध	-	4.20
			घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	(4.20)
				-	-
	(f)	**स्थानीय सरकारी प्रशासनिक निकाय**			
			असुरक्षित माना जाने वाला सामान	-	-
			संदिग्ध	120.00	120.00
			घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	(120.00)	(120.00)
				-	-
				1,043.52	**1,070.02**

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
		(₹. लाख में)
14 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां		
जमा राशि पर अर्जित ब्याज		
बैंको के साथ	689.69	604.24
	689.69	**604.24**
15 सेवाओं की बिक्री		
शुरू किया गया कार्य	222.47	290.03
परामर्श शुल्क	3.11	9.33
	225.58	**299.36**
16 अन्य प्राचलन राजस्व		
किराये की आय	1,254.05	1,645.37
स्क्रैप की बिक्री	-	17.13
	1,254.05	**1,662.50**
17 अन्य आय		
ब्याज से आय		
बैंक से	1,427.50	1,282.55
बिक्रीकर रिफन्ड पर	0.18	3.61
जमा	2.36	1.00
विविध प्राप्तियां	1.81	2.72
	1,431.85	**1,289.89**
18 खपत की गई सामग्री की लागत		
कच्चे माल का शुरुआती स्टॉक	19.47	19.47
जोड़ें: खरीद	-	-
घटाएं : कच्चे माल का अंतिम स्टॉक	19.47	19.47
	-	-

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
		(₹. लाख में)
19 सामान सूची में परिवर्तन		
वर्ष के अंत में सामान सूची:		
तैयार सामान	7.24	7.24
कार्य प्रगति में	102.49	102.49
स्क्रैप और खुले उपकरण	12.96	12.96
(A)	**122.69**	**122.69**

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में सामान सूची:		
तैयार सामान	7.24	7.24
कार्य प्रगति में	102.49	110.00
स्क्रैप और खुले उपकरण	12.96	20.82
(B)	**122.69**	**138.06**
(B- A)	**-**	**15.37**
20 प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय		
उप-ठेकेदारी व्यय	201.82	266.03
बिजली और ईंधन	83.12	79.98
मरम्मत और रखरखाव		
संयंत्र और मशीनरी	22.54	18.80
अन्य प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	6.44	6.60
	313.92	**371.41**
21 कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और भत्ते	63.02	68.74
ग्रेच्युटी	1.60	0.94
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	5.47	11.97
पी.एफ., एफ.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. के लिए अंशदान:	20.93	14.83
कर्मचारी कल्याण और अन्य सुविधाएं:		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.81	2.67
अन्य लाभ	1.47	1.47
	94.30	**100.62**
22 अन्य व्यय		
i अभिशासन संबंधी व्यय:		
दर एवं कर	60.23	101.88
सीएसआर व्यय/ दान	45.29	87.05
कार्यालय की बिजली	2.48	2.21
बीमा	0.34	0.44
ऑडिटर्स को भुगतान		
- ऑडिट शुल्क	2.00	2.00
- टैक्स ऑडिट शुल्क	0.80	1.00
पप्रिंटिंग और लेखन सामाग्री	2.66	2.39
डाक, कूरियर एवं टेलीफोन	1.55	1.20
यात्रा और वाहन व्यय	17.27	7.60
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	52.48	59.56
बैंक शुल्क	0.17	0.18
सुरक्षा व्यय	142.57	138.20

(₹. लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव		
- फ्लैट	14.33	8.09
- फर्नीचर और फिक्स्चर	0.04	-
- अन्य	18.75	18.73
सांविधिक भुगतान जीएसटी	0.60	0.68
सांविधिक देय के दंड/ विलंब से भुगतान पर ब्याज	4.07	40.15
निर्देशकों का सीटींग शुल्क	2.60	1.60
बाकी बट्टा-शाखा	-	33.62
पिछले वर्षो के सांविधिक भुगतान	3.23	8.94
कमीशन का भुगतान	-	6.01
किराए का भुगतान	3.83	2.30
अन्य व्यय	8.06	3.10
ii **बिक्री संबंधी खर्च**		
विज्ञापन व्यय	-	1.30
कुल अन्य व्यय (A+B)	**383.35**	**528.23**
23 पूर्व अवधि के आइटम		
पूर्व अवधि की आय	-	1.99
पूर्व अवधि के व्यवय	(0.06)	(5.55)
	(0.06)	**(3.56)**
24 असाधारण आइटम		
प्रावधान लंबे समय तक पुनरांकन करने की जरूरत नहीं	-	(49.54)
वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान	381.57	-
कंपनी द्वारा / उसके खिलाफ दावे	8.00	(76.17)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	(220.36)
	389.57	**(346.07)**
25 कर व्यय :		
मौजूदा कर	535.00	530.00
आस्थगित कर	2.82	79.82
पिछले वर्षो का कर पिछले वर्षो का कर	(110.87)	-
	426.95	**609.82**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

26 रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 15 मार्च, 1973 को एक सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी ने रिचर्डसन एंड क्रुडस लिमिटेड के नाम पर 15 मार्च, 1973 को रिचर्डसन एंड क्रुडस लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1972 नामक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से रिचर्डसन और क्रुडस लिमिटेड की परिसंपत्तियों और देनदारियों को संभाला।

(₹. लाख में)

	2022-23	2021-22
A. पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और न प्रदान की जाने वाली	शून्य	शून्य

B. संबंधत आकस्मिक देनदारियां

(₹. लाख में)

a. कंपनी द्वारा विवादित बिक्री कर प्राधिकारियों की मांगें जो अपील के अधीन हैं	260.43	260.43
b. कंपनी द्वारा विवादित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की मांगें जो अपील के अधीन हैं	101.08	101.08
c. कंपनी द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विवादित मांगें जो अपील के अधीन हैं	285.00	285.00
d. कंपनी द्वारा विवादित भविष्य निधि प्राधिकारियों की मांगें	152.37	152.37
e. कंपनी द्वारा आयकर अधिकारियों से विवादित मांगें जो अपील के अधीन हैं	754.48	2.49
f. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	3,244.81	3,339.81
कुल	**4,798.17**	**4,141.18**

नोट- इन आकस्मिक देनदारियों में दावे(दावों)/मांग(मांगों) पर देय ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

27. वित्तीय विवरण चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किए जाते रहते हैं। एमसीजीएम द्वारा मुलुंड और बायकुला की दोनों संपत्तियों की मांग के कारण इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंजाम देना संभव नहीं था। हालाँकि, इसे एमसीजीएम ने पत्र दिनांक 20 सितंबर 2022 के माध्यम से रद्द कर दिया था। कंपनी के राजस्व का प्राथमिक स्रोत विभिन्न सरकारी संगठनों को उसके मुंबई परिसर की लीव और लाइसेंस से उत्पन्न किराये की आय होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 21.09.16 के निर्णय के अनुसार, कंपनी ने नागपुर और चेन्नई में नए ऑर्डर बुक करना बंद कर दिया है। नागपुर इकाई की सूची में कोई हलचल नहीं। कंपनी एमओए और एओए के अनुसार विभिन्न आयोजनों/समारोहों/बैठकों आदि के लिए अपने परिसर को दैनिक किराये के आधार पर पेश करने की अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रही है।. चूंकि कंपनी की बाइकुला और मुलुंड दोनों संपत्तियों को एमसीजीएम द्वारा सीओवीआईडी -19 रोगियों के संगरोध और उपचार के लिए मांगा गया है, इससे वित्त वर्ष 22-23 में राजस्व पर असर पड़ा है। इसके अलावा, एचपीसीएल ने कॉर्पोरेट भवन का पट्टा समाप्त कर दिया है और 31 दिसंबर 2022 को परिसर खाली कर दिया है, इससे किराये की आय पर भी असर पड़ा है।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के पास 26,349.84 लाख रुपये (पिछले वर्ष 25,158.50 लाख रुपये) की नकदी और नकद समकक्ष थी। कंपनी अपने व्यवसाय संचालन को प्रबंधित करने में सफल रही है। साथ ही, निदेशक मंडल का मानना है कि खातों को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया जाना उचित है।

28. भुगतान की गई शेयर पूंजी के संबंध में जैसा कि नोट नंबर 2 में बताया गया है, 8% वरीयता शेयर पूंजी 2,326 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,326 लाख रुपये) है, 1992-93 के दौरान जारी किए गए इन वरीयता शेयरों के जारी करने और मोचन के लिए नियम और शर्तें अभी तक नहीं हैं कंपनी द्वारा एकमात्र प्राथमिकता शेयरधारक - भारत सरकार (जीओआई) के साथ इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में, बुनियादी ढांचा परियोजना स्थापित करने में लगी कंपनी 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शेयर जारी कर सकती है।

अधिमानी शेयरों के मोचन के लिए भारत सरकार के साथ नियमों और शर्तों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 और उस पर बनाए गए नियमों के अनुसार अधिमानी शेयर मोचन रिजर्व खाता बनाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, आवश्यक जानकारी के अभाव में, पिछले प्रकटीकरण के अनुसार इन वरीयता शेयरों पर लाभांश की दर गैर-संचयी आधार पर 8% प्रति वर्ष मानी गई है।

29. कंपनी की फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड संपत्तियों के संबंध में:

a. कंपनी के पास मुलुंड में 36.88 एकड़ जमीन है, जिसमें 23.38 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन और 13.50 एकड़ लीजहोल्ड जमीन शामिल है। फ्रीहोल्ड जमीन में से लगभग 7.18 एकड़ जमीन पर ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा और लगभग 3 एकड़ जमीन पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो कुल मिलाकर 10.18 एकड़ है।

अतिक्रमण खाली कराने के लिए पहले भी कई बार एमसीजीएम से संपर्क किया गया था। एमसीजीएम ने 13 अगस्त, 2008 के पत्र के माध्यम से अपने "ग्रुप लीडर मीटिंग ' के निर्णय के नतीजे से अवगत कराया कि वे अपने कब्जे वाली जमीन को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि महाराष्ट्र सरकार सहमत होती है, तो स्वीकार्य एफएसआई (विकास अधिकार का हस्तांतरण- टीडीआर) उनके कब्जे वाली जमीन का हिस्सा कंपनी को दिया जा सकता है।

उद्योग भवन, नई दिल्ली में 3 सितम्बर, 2009 को आयोजित बैठक के दौरान भारी उद्योग विभाग के सचिव ने कहा कि एमसीजीएम और झुग्गी वासियों द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसलिए अतिक्रमण के अधीन कुल जमीन के लिए कंपनी को स्वीकार्य एफएसआई/टीडीआर प्रदान करने पर विचार करने का सुझाव दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की और कहा कि 10.18 एकड़ जमीन के लिए स्वीकार्य एफएसआई/टीडीआर देने पर विचार करने के लिए इसे शहरी विकास और आवास विभाग के साथ उठाया जाएगा। इस बीच, कंपनी ने अतिक्रमण के तहत कुल जमीन के लिए कंपनी को स्वीकार्य टीडीआर/एफएसआई देने के लिए आयुक्त, एमसीजीएम, मुंबई को पत्र आरएंडसी/सीएमडी/एमसीजीएम/09-10 दिनांक 19 जनवरी 2010 के माध्यम से औपचारिक अनुरोध दिया है। तब से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है.

b. कंपनी के मुलुंड वर्क्स की अचल संपत्तियों में 54,632.56 वर्ग मीटर की लीजहोल्ड जमीन शामिल है। पट्टा एक विशिष्ट अवधि के लिए था और पट्टे की अवधि के दौरान कंपनी के पास 'प्रत्यावर्ती अधिकारों' की खरीद का विकल्प था, जिसे कंपनी ने निर्धारित समय में प्रयोग किया और संपत्ति के आधे हिस्से का हस्तांतरण पूरा किया जो अन्य दो पट्टादाता के नाम पर था। हालाँकि, पट्टे की संपत्ति का अन्य आधा हिस्सा पट्टादाताओं द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में लगाए गए विभिन्न आरोपों से ग्रस्त था, जिसने कंपनी द्वारा खरीद प्रक्रिया को बाधित किया था। इसके बाद, पट्टेदारों और अन्य लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने जानबूझकर बिक्री की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए

संपत्ति को गलत तरीके से तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया। कंपनी ने पट्टेदारों और अन्य के विरुद्ध संख्या 3572/2006 वाले विशिष्ट निष्पादन के लिए बंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है और यह मामला न्यायाधीन है।

c. फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड संपत्तियों के शीर्षक के मूल दस्तावेज कंपनी के पास उपलब्ध हैं, सिवाय इसके कि:-

(i) घाटकोपर में 20 फ्लैट, कंपनीको अविनाश हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति से घाटकोपर फ्लैट्स से संबंधित शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रबंधन ने रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई से घाटकोपर फ्लैट्स से संबंधित 18 सितंबर, 1982 के विलेख संशोधन और बिक्री के लिए समझौते की पुष्टि की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की है।

(ii) मूलुंड में फ्लैट (शेयर प्रमाण पत्र की केवल पक्की नकल उपलब्ध)

(iii) नागपुर टीटीएस (केवल संपत्ति के कागजात की फोटोकॉपी रखी गई)

(iv) नागपुर में जी/12/2 पर संपत्ति (केवल संपत्ति के कागजात की प्रमाणित सत्य प्रति)

d. कंपनी का बायकुला वर्क्स 13.41 एकड़ की लीजहोल्ड जमीन पर स्थित है जो वर्तमान में मुंबई कलेक्टर की है। पट्टे की अवधि 1974 से 2003 के बीच समाप्त हो गई है। मुंबई के कलेक्टर पट्टे पर दी गई सरकारी जमीन के संबंध में अपनी नीति को संशोधित करने और समाप्त हो चुके पट्टों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। मुंबई के कलेक्टर ने 992.30 लाख रुपये की मांग की है, जिस पर कंपनी ने विवाद किया है। हालाँकि, अंतिम निर्णय लंबित होने तक, कंपनी ने मुंबई के कलेक्टर के पास 120 लाख रुपये जमा कर दिए थे, जिसे 'दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम' के तहत समूहीकृत किया गया है और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। शेष राशि को आकस्मिक देनदारी के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस बीच, कलेक्टर, मुंबई ने 8 जुलाई, 2013 को निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प का प्रयोग करने के लिए एक पत्र भेजा:

a. पट्टाधारी भूमि को कब्जे के अधिकार द्वारा अधिभोगी वर्ग-2 में परिवर्तित करना।

b. 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी रेडी रेकनर के अनुसार मौजुदा बाजार मूल्य पर हर 5 साल में किराये में संशोधन के साथ 30 साल के लीए पट्टे का नवीनीकरण।

कंपनी ने उपरोक्त जमीन को अधिभोगी वर्ग-2 में परिवर्तित करने के लिए एक विकल्प का प्रयोग किया। कंपनी का आवेदन तब से खारिज कर दिया गया है। 7 अक्टूबर, 2016 के उनके पत्र के अनुसार बायकुला की भूमि कलेक्टर द्वारा कुर्क की जा रही है। कुर्की के आदेश के खिलाफ, कंपनी ने रिट याचिका (2017 की संख्या 633) दायर की है और मामला वर्तमान में विचाराधीन है।

एमसीजीएम ने संपत्ति कर के संबंध में कंपनी से कोई मांग नहीं की है। उक्त प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसका हिसाब दिया जाएगा।

e. कंपनी के पास बायकुला और मुलुंड वर्क्स में पट्टे पर दिए गए परिसरों पर अचल संपत्तियां हैं। प्लांट और मशीनरी के संबंध में पिछले वर्षों में किए गए परिशोधन का शुद्ध प्रावधान रु. 4.78 लाख है। परिसर की लीज समाप्त हो गई है और इसके संबंध में कंपनी की मुकदमे/बातचीत के अंतिम परिणाम आने तक पट्टे पर दिए गए परिसर में अचल परिसंपत्तियों पर कोई हानि का आकलन नहीं किया जाता है और इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी की नीति के अनुसार प्रदान किया जाता है। कंपनी की राय में, जुलाई 2013 की स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, क्योंकि परिसंपत्तियों का मूल्य वहन मूल्य से अधिक है, लेखा मानक एएस -28 के अनुसार कोई और हानि आवश्यक नहीं समझी जाती है।

f. एमसीजीएम ने दिनांक 1897-के पत्र के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम 15.05.2020के तहत कोविड 19-रोगियों को संगरोध करने के उद्देश्य से आरएंडसी मुलुंड संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में आदेश जारी किए। एमसीजीएम ने 19-बेड वाले कोविड 1000जंबो अस्पताल के निर्माण के लिए परिसर का उपयोग करने की परिकल्पना की है।

इसके अलावा, मुंबई कलेक्टर ने दिनांक के पत्र और 29.03.2020 दिनांक के आगे के नोटिस के 07.04.2020 1897-माध्यम से महामारी रोग अधिनियमके तहत कोविड 19-रोगियों को क्वारंटाइन करने के उद्देश्य से आरएंडसी बायकुला संपत्ति की मांग के संबंध में आदेश जारी किया।

कंपनी को बायकुला इकाई के लिए एमसीजीएम से प्रति माह लाख 20.82रुपये का मुआवजा मिला है। तथापि, मुलुंड के संबंध में, कंपनी को किसी क्षतिपूत की प्राप्तिपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है और ऐसी अनिश्चितता के बदले / मान्यता दी जाएगी जिसमें इसे कंपनी द्वारा किसी राजस्व को मान्यता नहीं दी गई है। राजस्व को उस वर्ष में पुष् / प्राप्तटि की जाएगी।

30 पार्टियों को/से देय शेष (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, जमा, वैधानिक बकाया, ऋण और अग्रिम और टीडीएस प्राप्य सहित) पार्टियों से पुष्टि और समाधान, यदि कोई हो, के अधीन हैं। सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्य दावों में रिफंड और राशियाँ शामिल हैं जो लागू ऑडिट, मूल्यांकन या मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के समायोजन के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा, कंपनी के पास पूंजीगत कार्य-प्रगति, देनदारों, लेनदारों, अन्य प्राप्तियों और भुगतानों (प्राप्त अग्रिमों और दिए गए अग्रिमों सहित) और अन्य वर्तमान देनदारियों के संबंध में पुरानी बकाया शेष राशि से संबंधित पूर्ण और पूर्ण विवरण और रिकॉर्ड नहीं हैं जो नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(राशि लाखों में)

क्रमांक	**विवरण**	**1/4/2017 के बाद से बकाया पुरानी शेष राशि (डेबिट शेष राशि)**	**1/4/2017 के बाद से बकाया पुरानी शेष राशि (क्रेडिट शेष राशि)**	**31/03/202 की स्थिति के अनुसार ऐसी राशि के विरुद्ध प्रावधान**
1	व्यापार देय राशियां	-	1,053.41	-
2	अन्य मौजूदा देनदारियां	-	1,372.95	-
3	पूंजीगत डबल्यूआईपी	414.46	-	414.46
4	व्यापार प्राप्तियां	4,981.86	-	4,981.86
5	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	1,186.49	-	1,169.27
कुल		6,582.81	2,426,36	6,565.59

उन डेबिट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है जिनकी पिछले अभ्यास के अनुरूप वसूली संदिग्ध मानी जाती है। प्रबंधन की राय में पुराने विविध लेनदारों और अन्य देनदारियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है।

31 आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के तहत अपेक्षित असाधारण वस्तुओं का प्रकटीकरण इस प्रकार है -

a. वर्ष के दौरान संदिग्ध प्राप्य/जमा/अग्रिम और सरकारी प्राधिकारियों के पास रु. 381.57 लाख का प्रावधान किया गया है।

b. वर्ष के दौरान कंपनी ने उन मामलों के दावे का भुगतान किया है जिनमें असाधारण मद के रूप में 8.00 लाख रुपये बुक किए गए हैं।

32 वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक चेन्नई इकाई में कोई स्टॉकसामान और प्लांट और संयंत्र नहीं है। जनशक्ति की / री कमी के कारण वित्त वर्षभा2022-23 के दौरान नागपुर इकाइयों की संपत्ति और सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।इसके अलावा, बायकुला और मुलुंड इकाई को महामारी रोग अधिनियम, के तहत सितंबर 1897 तक एमसीजीएम और मुंबई कलेक्टर द्वारा मांग की गई है और आगे 2022 जनशक्ति की कमी के कारण वित्त वर्ष 23-2022 के दौरान मुलुंड और बायकुला इकाईकार्यालय की परिसंपत्तियों और इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं / किया गया था। यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक समायोजन तब किए जाएंगे जब खातों की समीक्षा, समाधान और निपटान किया जाएगा। वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव पड़ा है, तो उसका वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

33 विदेशी मुद्रा लेनदेन का विवरण

विवरण	मार्च, **2023** ₹. लाखों में	मार्च, **2022** ₹ लाखों में
a) विदेशी मुद्रा में आय	-	-
b) विदेशी मुद्रा में व्यय	-	-

वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं हुआ।

34. कुल आपूर्तिकर्ताओं में से, कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के संबंध में बहुत कम आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध है और इसलिए उनके संबंध में खुलासे किए गए हैं।

a) लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है;
b) वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान किया गया;
c) लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;
d) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज;
e) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और भुगतान न किया गया ब्याज; और
f) बाद के वर्षों मे भी बकाया देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक की उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।

कंपनी ने केवल उन्हीं पार्टियों को लघु और मध्यम उद्यम के रूप में मान्यता दी है जिन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जमा किया है।

35. कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ: सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, पारिश्रमिक, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि जैसे लाभ, और बोनस की अपेक्षित लागत, अनुग्रह राशि उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

i. कंपनी ने भविष्य निधि और अन्य निधियों में कंपनी के योगदान के शीर्षक के तहत लाभ और नुकसान के विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी है:

₹. लाखों में

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
भविष्य निधि और अन्य निधियां	20.93	14.83
	20.93	14.83

ii. ग्रेच्युटी योजना का विवरण इस प्रकार है:

A. बैलन्स शीट में पहचानी गई राशि

₹. लाखों में

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निर्धारित लाभ का वर्तमान मूल्य	22.58	33.14
बैलन्स शीट में ज्ञात तथा प्रावधानों के तहत शामिल की गई शुद्ध देनदारी	22.58	33.14

B. **लाभ और हानि के विवरण में मान्य व्यय**

₹. लाखों में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
चालू सेवा लागत	1.58	2.81
नश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज	1.87	2.82
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानियाँ/(लाभ)।	(1.85)	(4.86)
कर्मचारी व्यय में कुल शामिल	1.60	0.94

C. **अवधि के लिए लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों का मिलान**

₹. लाखों में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
शुरुआती निश्चित लाभ दायित्व	33.13	41.72
चालू सेवा लागत	1.58	2.80
ब्याज लागत	1.87	2.81
बीमांकिक हानि/(लाभ)	(1.85)	(4.68)

पिछले सेवा लागत	0	0
लाभ का भुगतान	(12.16)	(9.52)
अंतिम निश्चित लाभ दायित्व	22.58	33.13

D. बीमांकिक मान्यताओं का सारांश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रियायती दर (प्रति वर्ष)	7.30%	5.65%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.50%	7.50%
सेवानिवृत्ति की आयु	58 वर्ष	58 वर्ष
मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन(2012-14). आधारभुत मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन(2012-14). आधारभुत मृत्यु दर
वापसी की दर	1%	1%

36. प्रति शेयर मूल और विरल आय की गणना का आधार इस प्रकार है:

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	₹. लाखों में	1,272.45	1,934.66
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	13,33,505	13,33,505
प्रति शेयर मूल और विरल आय	(₹.)	95.42	145.08
प्रति शेयर अंकित मूल्य	(₹.)	1000	1000

37. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर लेखांकन मानक -18 के अनुसार, प्रबंधन द्वारा पहचानी गई और प्रमाणित संबंधित पार्टी की जानकारी इस प्रकार है: :-

a) संबंधित पार्टी की सूची :-

मुख्य प्रबंधन कर्मी (KMP)

क्रमांक	**संबंधित पार्टी का नाम**	**संबंध**
1	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	सीएमडी
2	श्री संजय कुमार ओझा	सीएफओ एवं सीएस

संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेन-देन:-

₹. लाखों में

क्रमांक	लेनदेन की प्रकृति-	2022-23	2021-22
1	मेहनताना		
	श्रीमती जूली श्रीवास्तव	शून्य	शून्य
	श्री संजय कुमार ओझा	21.24	18.39

38. आस्थगित कर परिसंपत्तिका ब्यौरा निम्नानुसार है (देयता)/ :-

(₹. लाखों मे)

विवरण	31.03.2023 के अनुसार	31.03.2022 के अनुसार
बही खातों और आयकर के अनुसार अचल संपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर पर कर प्रभाव	(63.50)	(63.65)
आयकर के अनुसार ग्रेच्युटी की अस्वीकृति पर कर प्रभाव	5.68	8.34
आयकर के अनुसार अवकाश नकदीकरण की अस्वीकृति पर कर प्रभाव	7.97	8.28
धारा 43बी के तहत अस्वीकृत व्यय पर कर प्रभाव	5.07	5.07
	(44.78)	**(41.96)**

39. डीएचआई ने दिनांक .पीई-2005/(6)4.के पत्र सं 06.10.2016IV के माध्यम से सूचित किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक के 09.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 09.09.2016 कैबिनेट नोट पर विचार किया और नीति आयोग और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक (दीपम) विनिवेश के लिए चेन्नई और नागपुर में इकाइयों की पेशकश करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

तदनुसार, प्रबंधन ने अपने दिनांक के पत्र के माध्यम से डीएचआई से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 12.02.2018:

1. नागपुर और चेन्नई इकाइयों को दीपम दिशानिर्देशों में परिकल्पित रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किया जाना है।
2. . इकाइयों को भूमि सहित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री निपटान द्वारा अलग किया जाना है।/

इसके अलावा, डीआईपीएएम ने दिनांक -2016/15/4 के पत्र संख्या 2018-09-14दीपम-I के माध्यम से स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन इकाई की रणनीतिक बिक्री के बजाय चेन्नई इकाई एकमुश्त बिक्री से गुजर सकती है।

40. निर्धारित सावधि जमाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(₹. लाखों मे)

विवरण	मुंबई	नागपुर	चेन्नई	कुल
नकद और बैंक बैलेंस				
केनरा बैंक के साथ एफडी (विशेष जमा एफडी 1975)	7.65			**7.65**
एसबीआई के साथ एफडी (ओडी के सहारे)	7.54			7.54
एसबीआई के साथ एफडी (लियें के सहारे)			0.97	0.97
एसबीआई के साथ एफडी (लियें के सहारे)			1.93	1.93
एसबीआई के साथ एफडी (लियें के सहारे)			0.79	0.79
सकल योग	**15.19**	**0.00**	**3.69**	**18.88**

41. दावों के रूप में दिखाए गए प्रमुख मामलों का विवरण, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं: -

पक्ष का नाम	**कारण**	**राशि (₹. लाखों में)**
किर्लोस्कर इलेक्ट. को.	विलंबित डिलीवरी/प्रदर्शन (पार्टी से मांग नोटिस प्राप्त हुआ)	150.00
मध्य रेल्वे	रेलवे, साइडिंग जमीन के लिए लाइसेंस शुल्क (पार्टी से मांग नोटिस प्राप्त हुई)	297.68
मुंबई के कलेक्टर	लीज़ किराया (शुद्ध समायोजित ₹120.00 लाख अग्रिम भुगतान किया) (पार्टी से मांग नोटीस प्राप्त हुई)	872.30
कैथल शुगर मिल्स लिमिटेड, हरियाणा	2500 टीसीडी चीनी संयंत्र स्थापित करने के लिए। (मामला उच्च न्यायालय में)	250.00
एसबीआई - कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट	बांड पर बकाया ब्याज भुगतान (प्रावधान कम - ₹. 45.58 लाख) (पार्टी से मांग नोटिस प्राप्त हुई)	217.64

42. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय का प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए 45.29 लाख रुपये आवंटित किए हैं।इस राशि में से 0.20 लाख रुपये 31.3.2023 को पीएम केयर फंड में स्थानांतरित किए गए थे और शेष 45.09 लाख रुपये विशिष्ट सीएसआर परियोजना के लिए निर्धारित किए गए थे। (पिछले वर्ष - पीएम केयर फंड में 87.05 रुपये जमा किए गए)।

चालू परियोजनाओं के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण : -

(रु. लाख मे)

शुरुआती बैलन्स	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	अंतिम शेष राशि
शून्य	45.09	0.00	45.09

43. अचल संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज जो कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं

(₹ लाख मे)

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	अचल संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज जो कंपनी के नाम पर नहीं रखे गए हैं	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	किस तारीख से रखी गई संपत्ति	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण/अन्य टिप्पणियाँ
पट्टे पर दी गई जमीन एवं भवन	बायकुला	526.03	_	नहीं	19-06-1911	संपत्ति का पट्टा 1974 से 2003 के बीच समाप्त हो गया है, संपत्ति कलेक्टर, मुंबई द्वारा कुर्क कर ली गई है। उनके दिनांक 07.10.2016 के पत्र द्वारा। मामला माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमे में है।
फ्रीहोल्ड जमीन	मुलुंड	396.49	हा	नहीं	02-08-1975	कोर्ट रिसीवर के मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं, हालांकि मामला मुकदमेबाजी के आधीन है
पट्टे पर दी गई जमीन	मुलुंड मे पट्टे पर दी गई जमीन	18.5	-	नहीं	27.04.1974	13.5 एकड़ में से, 6.75 एकड़ का मूल हस्तांतरण विलेख उपलब्ध है और शेष क्षेत्र के लिए मुकदमा चल रहा है।
भवन	अविआंश सीएचएसएल, अमृत नगर, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई में फ्लैट	0.01	-	नहीं	16-09-1982	मूल स्वामित्व विलेख कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी के पास उसके अपने नाम पर स्वामित्व विलेख की प्रमाणित सच्ची प्रतियां उपलब्ध हैं।
फ्रीहोल्ड जमीन	टीटीएस वानाडोंगरी, नागपुर में फ्रीहोल्ड जमीन	0.65	-	नहीं	01-03-1984	मूल स्वामित्व विलेख कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी के पास अपने नाम से स्वामित्व विलेख की फोटोकॉपी उपलब्ध है।
पट्टे पर दी गई जमीन	एमआईडीसी हिन्हना नागपुर, फैक्ट्री	0.99	_	नहीं	19-11-1982	यह संपत्ति एमआईडीसी से लीज के आधार पर ली गई है। कंपनी ने एमआईडीसी से एनओसी जारी करने का अनुरोध किया है, हालांकि एमआईडीसी ने जमीन सरेंडर करने के लिए पत्र भेजा है। मामला एमआईडीसी के खिलाफ उठाया गया है। लीज डीड की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि कंपनी के पास उपलब्ध है।

44. पूंजी-वर्क इन ऐजिंग कार्यक्रम

(राशि लाख मे)

सीडबल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में कितनी अवधि के लिए राशि है?				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाए प्रगति में					
परियोजनाए अस्थाई रूप से लंबित				414.46	414.46

प्रगति में पूंजीगत कार्य में ट्यूबलर परियोजना की वेल्डिंग प्रणाली के लिए ₹ 411.19 लाख और प्रयोगशाला भवन के लिए ₹ 3.27 लाख शामिल हैं, जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा ₹ 414.46 लाख का प्रावधान किया गया था।

45. अनुपात

अनुपात	वित्त वर्ष 22-23 के लिए	वित्त वर्ष 21-22 के लिए	भिन्नता (%)	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात (गुना) (वर्तमान संपत्ति / वर्तमान देनदारियां)	9.88	7.8	26.62%	मुख्य रूप से एफडीआर में वृद्धि और अल्पकालिक से दीर्घकालिक तक जमा राशि के पुनर्वर्गीकरण के कारण
ऋण-इक्विटी अनुपात (गुना) ऋण पूंजी / शेयरधारक की इक्विटी	0.00	0.00	0.00	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना) **ईबीआईटीडीए-कैपेक्स/** **ऋण सेवा (ब्याज+प्रिंसिपल)**	0.00	0.00	0.00	-
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (%) **वर्ष के लिए लाभ / औसत शेयरधारक की इक्विटी**	8.12%	12.35%	-34.23%	वर्ष के दौरान कम लाभ के कारण।
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (गुना) **बेचे गए माल की कीमत /** **औसत सूची**	0.55	0.62	-10.91%	-
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (गुना) **शुद्ध बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य**	3.11	2.90	7.13%	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (गुना) **बेचे गए माल की लागत / अंतिम व्यापार देय**	0.28	0.31	-11.64%	-
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (%) **बिक्री/कार्यशील पूंजी (सीए-सीएल)**	5.79%	8.11%	-28.62%	मुख्य रूप से वर्ष के दौरान कम बिक्री के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात (%) **शुद्ध लाभ/कुल राजस्व**	43.70%	59.50%	-26.54%	मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रावधान के कारण वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में कमी आई।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) **ब्याज और कर से पहले की कमाई /** **नियोजित पूंजी**	6.71%	10.59%	-36.63%	वर्ष के दौरान कम लाभ के कारण।
निवेश पर प्रतिफल (%) **शुद्ध लाभ/निवेश**	0.00	0.00	0.00	-

46. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है। इस प्रकार, नीचे दिया गया विवरण शून्य होगा

(i) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि,

(ii) रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रखी गई मुद्रा की राशि,

(iii) क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम।

47. कंपनी के पास भारतीय स्टेट बैंक, डीआईजीबीओआई, असम में बैंक खाते का शेष पुष्टि प्रमाणपत्र नहीं है। चूँकि खाता बहीखातों में ₹0.20 लाख का शेष दिखा रहा है।

48. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बावजूद, भारतीय बाजार में प्रवाह बेरोकटोक बना रहा और यह भारत में लॉकडाउन के दौरान सामान्य रूप से काम करता रहा। चूंकि कंपनी की बायकुला और मुलुंड दोनों संपत्तियों को एमसीजीएम द्वारा कोविड-19 रोगियों के संगरोध और उपचार के लिए मांग की गई है, इसने वित्त वर्ष 21-22 में राजस्व को प्रभावित किया है और वित्त वर्ष 22-23 में कंपनी के राजस्व को प्रभावित करना जारी रखेगा।

49. वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी पर इंड एएस लागू नहीं है।

50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनर्संयोजित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

संलग्न की गई सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण नं. 113267W	**कृते और निदेशक मंडल की ओर से**	
एसडी/- **सीए सिद्धार्थ जैन** **पार्टनर** **सदस्यता नं. 104709**	**एसडी/-** **श्री आदित्य कुमार घोष** **निर्देशक** **DIN : 09222808**	**एसडी/-** **श्रीमती जूली श्रीवास्तव** **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** **DIN : 09623989**
स्थान : मुंबई **दिनांक : 4 सितंबर 2023** **यूडीआईएन : 23104709BGULXS1005**	**एसडी/-** **संजय कुमार ओझा** **सिएफओ एवं सी एस** **स्थान : मुंबई** **दिनांक : 4 सितंबर 2023**	

दस साल का डाइजेस्ट

(₹ लाख मे)

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
1	उत्पादन का मूल्य	225.58	299.36	670.20	870.36	1,261.82	1,699.95	2,075.67	2,021.90	5,316.37	6,270.34
2	सकल बिक्री	2,911.48	3,251.75	3,424.05	4,095.41	4,220.54	4,581.35	4,649.50	5,009.62	9,359.51	8,359.70
3	बिक्री की लागत	201.82	266.03	583.22	768.65	1,179.59	1,619.33	1,822.66	1,732.41	4,736.22	5,489.10
4	ब्याज और मूल्यह्रास से पहले सकल लाभ / (हानि)	1,730.29	2,578.66	1,879.42	2,446.45	2,418.34	1,685.29	1,596.97	2,184.69	2,990.75	1,959.82
5	मूल्यह्रास	30.89	34.17	37.44	39.65	40.2	39.49	77.73	80.74	251.63	61.33
6	ब्याज से पूर्व सकल लाभ/(हानि)	1,699.40	2544.49	1841.98	2,406.80	2378.14	1,645.80	1,519.24	2,103.95	2,739.12	1,898.49
7	ब्याज:										
	a) सरकार	-	-	-	-	-	-	-	3,110.49	3,103.58	2,281.27
	b) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कर से पहले लाभ	1,699.40	2,544.49	1,841.98	2,406.80	2,378.14	1,645.80	1,519.24	(1,006.54)	(364.46)	(382.78)
9	कर के लिए प्रावधान	426.95	609.83	501.16	-539.86	84.44	-	24.80	-	-	-
10	कर के बाद लाभ	1,272.45	1,934.66	1,340.82	2,946.66	2,293.70	1,645.80	1,494.44	(1,006.54)	(364.46)	(382.78)
11	सकल ब्लॉक	2,708.45	2,702.75	2,927.47	2,927.14	2,861.82	2,856.40	2,711.11	2,534.63	2,737.62	2,897.29
12	नेट ब्लॉक	675.45	700.64	736.91	774.04	752.62	787.40	665.06	516.22	557.11	719.89
13	कार्यशील पूंजी	25,546.39	24,177.13	22022.39	17584.93	(34,162.80)	(30,687.01)	(36,631.28)	12,047.62	9,932.99	7,108.36
14	दीर्घकालिक ऋण	-	-	-	-		-	-	52,658.68	49,555.27	46,451.86
15	अल्पावधि ऋण (नकद क्रेडिट सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	शेयर पूंजी	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	15,661.05	5,483.53	5,483.53	5,483.53
17	आरक्षित	10,342.83	9,070.38	43,478.39	43,478.39			-	-	-	-
18	नियोजित पूंजी	26,221.84	24,877.76	22,759.30	18,358.97	(33,410.18)	(29,899.61)	(35,966.22)	12,563.84	10,490.10	7,828.25
19	कुल मूल्य	26,003.88	24,731.43	22,796.76	21,455.94	(24,969.10)	(27,262.79)	(28,908.59)	(40,580.55)	(39,574.01)	(39,209.55)
20	संचयी हानि	-	-	(36,342.68)	(37,683.50)	(40,630.15)	(42,923.84)	(44,569.64)	(46,064.08)	(45,057.54)	(44,693.08)
21	वर्धित मूल्य	23.76	33.33	86.98	26.39	9.27	25.62	186.97	220.25	519.80	639.40
22	वेतन, मजदूरी और लाभ	94.30	100.62	156.62	292.38	158.25	122.95	153.25	118.49	110.79	143.22
23	प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धित	7.92	8.33	17.40	3.30	1.03	2.85	17.00	13.77	32.49	29.06
24	राजकोष में योगदान	426.95	609.83	501.16	(539.86)	84.44	13.71	100.32	28.64	93.23	59.74
25	कर्मचारिओ की संख्या	3	4	5	8	9	9	11.00	16	16	22
26	मजदूरी का प्रति रुपया मूल्य वर्धित	0.25	0.33	0.56	0.09	0.06	0.21	1.22	1.86	4.69	4.46
27	वेतन और बिक्री के लिए मजदूरी	30.87	32.32	21.86	14.01	26.67	37.26	30.34	42.28	84.48	58.37
28	विविध देनदारों को कारोबार के दिनों की संख्या	25	85	64	66	68	83	116	150	80	107